राजस्थान विधान सभा

२८ वीं बैठक, दिनांक २० अप्रेल, १९५३

सदन का कार्य ८ बजकर १८ मिनिट पर प्रारम्भ हुआ

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ७५९

श्री **अध्यक्ष**—Questions. Shri Ganga Singh. Question No. 759.

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७६०

श्री **कस्तूरचन्द (डि० नं० ७२)**—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) एन्टीकरप्शन ब्रांच (anti-corruption) खुलने के बाद आज तक भीलवाड़ा जिले में कितने रिश्वतखोर कर्मचारियों को पकड़ा गया है और कितनों को दण्ड दिया गया है ?

(ख) उन अधिकारियों के क्या नाम हैं ?

श्री **जयनारायण व्यास**—भीलवाड़ा जिले में किसी रिश्वतखोर कर्मचारी को नहीं पकड़ा गया है।

श्री **कस्तूरचन्द**—क्या इस संबन्ध में कोई शिकायत सरकार के पास आई थी ?

श्री **जयनारायण व्यास**—यह प्रश्न इस वक्त पैदा नहीं होता।

श्री **कस्तूरचन्द**—क्या यह सच है कि माइनिंग विभाग के एक अफसर को रिश्वत लेते हुए पकड़ा और फिर उसे छोड़ कर उसी जगह नियुक्त कर दिया गया ?

श्री **जयनारायण व्यास**—यह बिल्कुल नया प्रश्न है; इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री **कस्तूरचन्द**—इस तरह की शिकायत तो सरकार के पास आई ही होगी ?

Page No.2

श्री जयनारायण व्यास—मैं सारे सरकारी दफ्तर तो यहां लेकर नहीं आता, संबन्धित कागजात लेकर ही यहां आता हूं।

प्रश्न संख्या ७६१

श्री अध्यक्ष—श्री सन्तोषसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ७६२

श्री प्यारेलाल (डि० नं० ११८)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

सिरोंज में सड़कें बनाने का क्या प्रबन्ध सरकार द्वारा किया गया ?

श्री भोलानाथ—प्रश्न से यह साफ नहीं है कि कौनसी सड़क से मतलब है, एक सड़क सिरोंज से लटेरी तक बनाई जा रही है जिसका तखमीना २८,०००)रु० है और १५,०००) रु० अब तक व्यय हो चुका है।

प्रश्न संख्या ७६३ तथा ७६४

श्री अध्यक्ष—श्री सुगनचंद।

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ७६५

श्री धर्मपाल—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) गत चार सालों में राजस्थान में जिलेवार कितने डाके पड़े ?

(२) डाकुओं ने कितना माल जिलेवार लूटा और कितने आदमियों की हत्याएं की ?

(३) कितने डाकू पकड़े गये, कितने मारे गये और कितने अभी फरार हैं ?

(४) डाकुओं की कुल संख्या कितनी है और किस किस कौम से इनका सम्बन्ध है ?

(५) डाकुओं की सब से अधिक संख्या किस कौम की है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(१) सूची मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

२. १६३३ डाकू पकड़े जा चुके हैं। ७८ मारे गये और २० कुख्यात डाकू अभी फरार हैं।

Page No.3

[श्री जयनारायण व्यास]

३. यह नहीं कहा जा सकता कि डाकूओं की कुल संख्या क्या है, उनकी जाति व वर्ण के बारे में सूचना एक सरकार के पास नहीं है।

४. उपरोक्त कारणवश इस भाग का उत्तर नहीं दिया जा सकता।

प्रश्न संख्या ७६६

श्री **केसरीसिंह** (वि. सं. ७५)—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) लाखेरी में कौनसी कक्षा तक पढ़ाई होती है ?

(२) वहां कितनी कक्षा तक पढ़ाई कराई जाती है तथा उन कक्षाओं के लिये क्या वह इमारत काफी है ?

(३) यदि नहीं, तो वहां के निवासी पूर्ण प्रवन्ध की कब तक आशा कर सकते हैं ?

श्री **भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)**—(१) लाखेरी में दसवीं कक्षा तक पढ़ाई होती है।

(२) इमारत काफी नहीं है।

(३) राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति को दृष्टि में रखते हुए तथा उपयुक्त धन-राशि उपलब्ध होने पर अन्य ऐसी आवश्यकताओं के साथ साथ इस पर भी विचार किया जावेगा।

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**—जिन स्कूलों की इमारतें काफी नहीं हैं उनको बनाना क्या सरकार अपना फर्ज नहीं समझती ?

श्री **भोलानाथ**—समझती है।

श्री **केसरीसिंह**—सरकार अपना यह फर्ज कब तक पूरा करेगी ?

श्री **भोलानाथ**—पैसा आने पर।

श्री **केसरीसिंह**—पैसा कब तक आयेगा ?

श्री **भोलानाथ**—सुव्यवस्था हो जाने पर।

प्रश्न संख्या ७६७

श्री **खेतसिंह**—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) शेरगढ़ ग्राम के कुए पर वहां के लोगों के चन्दे से खरीदी हुई मशीन को पी. डब्ल्यू. डी. जोधपुर डिवीजन, की मारफत लगाने की घोषणा मन्त्रीजी ने कब की थी ?

(ब) क्या वह मशीन कूए पर लग गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[श्री खेतसिंह]

(स) क्या उस मशीन का कूए पर लगाने की कुछ उम्मीद रक्खी जावे ?

(द) यदि हां, तो किस अवधि तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोलानाथ--(अ) घोषणा करने की तिथि का निश्चित पता नहीं है ।

(ब) पुरानी मशीन की मरम्मत हो रही है किन्तु उसकी बजाय एक दूसरी सरकारी नई मशीन (Engine & Generator) लगवादी गई है और पानी निकालने का कार्य प्रारम्भ हो गया है ।

(स और द) प्रश्न (ब) के उत्तर की दृष्टि से यह प्रश्न नहीं उठते ।

श्री खेतसिंह--मशीन लगाने के फलस्वरूप तो सरकार बधाई की पात्र है पर क्या वह मशीन काम कर रही है ?

श्री भोलानाथ--काम कर रही है ।

श्री खेतसिंह--वह काम नहीं कर रही है ।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)--माननीय मन्त्री घोषणा करते हैं तो क्या उसकी तारीख भी नोट नहीं की जाती ?

श्री अध्यक्ष--Order ! Next.

प्रश्न संख्या ७६८

श्री एच. के. व्यास--Will the Minister Incharge for Public Works be pleased to answer:—

(a) Is it a fact that an amount of Rs. 1½ lacs was sanctioned by the former Rajasthan Government for a water supply scheme for Kishangarh and Madanganj ?

(b) Has that scheme been put into operation ?

(c) If not, why not and under whose orders was the earlier decision reversed ?

(d) What is the present position ? Does the amount still stand sanctioned ?

श्री भोलानाथ--(१) फोर्मर राजस्थान सरकार द्वारा वाटर वर्क्स के सम्बन्ध में किशनगढ़ के लिये एक योजना स्वीकृत की हुई प्रतीत होती है किन्तु वास्तविक योजना का पता नहीं चलता । अतः वर्तमान राजस्थान सरकार के आदेश से जन-निर्माण विभाग की सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा द्वारा इस विषय में एक योजना तैयार की गई थी ।

(२) नहीं ।

[श्री भोलानाथ]

(३) इसका उत्तर ऊपर (१) में आ चुका है। मूलभूत निर्णय बदला नहीं गया है।

(४) अर्थाभाव के कारण राजस्थान पी. डब्ल्यू. डी, द्वारा बनाई हुई योजना अभी कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

श्री **एच. के. व्यास**—क्या सरकार बदलने से स्कीमों का बदलने की भी आवश्यकता हो जाती है?

श्री **अध्यक्ष**—Order!

श्री **एच. के. व्यास**—क्या इस सिलसिले में म्युनिसिपल कमेटी को लोन संकलन के अधिकार देने का फैसला कर लिया है?

श्री **भोलानाथ**—हां, यह तय कर लिया है।

प्रश्न संख्या ७६६

श्री **हनुवन्तसिंह**—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) पाकिस्तान से जो रेड्स (raids)होती हैं और पशु, ऊंट, गायें वगैरह ले जाते हैं उनको लौटाने का कोई प्रवन्ध नहीं होने से क्या सरकार उनका मुआवजा देगी?

(२) नहीं, तो क्यों नहीं?

(३) क्या राजस्थान सरकार ने सेन्टर से भी इस विषय में लिखा पढ़ी की है?

श्री **जयनारायण व्यास**—(१) यह कहना सही न हूंगा कि पाकिस्तान में बलपूर्वक लेजाये गये पशु आदि के वापिस लौटाने का कोई प्रवन्ध नहीं है। स्थिति के अनुसार अपहरण की गई सम्पत्ति के लौटाने का समुचित प्रवन्ध होने के कारण तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्या होने के कारण किसी प्रकार की क्षति पूर्ति (मुआवजा) देने का प्रश्न नहीं उठता।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री **हनुवन्तसिंह**—आपने कहा कि प्रवन्ध है, पर मैं आपको बताऊं कि वास्तव में ऐसा कोई प्रवन्ध नहीं है।

श्री **जयनारायण व्यास**—ऐसे मामलों में पाकिस्तान और हिन्दुस्तान, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, के प्रतिनिधियों की बातचीत होती है। वे अगर नियमित रूप से नहीं हो सकी हैं तो यह व्यवस्था की जायगी कि वह बातचीत ठीक तरह से, नियमित रूप से हो और उधर से इधर और इधर से उधर पशुओं को लिया-दिया जा सके।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)—क्या माननीय मुख्य मन्त्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो मवेशी बोर्डर पर हमारे यहां से पाकिस्तान में ले जाये जाते हैं उनके लिये मुआवजा दिलाने का क्या कोई प्रबन्ध किया जाता है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न है और इसके लिये राजस्थान सरकार मुआवजा मांग सके, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान और भारत सरकार के बीच निश्चित की जाने वाली नीति के आधार पर ही यह मामला निर्भर करता है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जो मवेशी उधार से चोरी होकर आते हैं उनको पुलिस वाले ले लेते हैं तो क्या सरकार जिन लोगों का माल चुराया गया है उनको उनके चोरी गये माल के एवजाने में यह मवेशी देने को तैयार हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—चोरी का माल एवजाने में दूसरों को नहीं दिया जा सकता।

प्रश्न संख्या ७७०

श्री धर्मपाल—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान के हरिजन वर्ग में से सबसे अधिक पिछड़ी हुई जातियों की वर्तमान दयनीय दशा को सुधारने के लिये क्या सरकार पंच वर्षीय योजना में से कुछ रकम का कोटा निश्चय करके इनका उत्थान करेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—राजस्थान के हरिजन वर्ग में जो-जो जातियां अधिक पिछड़ी हुई हैं उनका अभी पूरा सर्वे तो नहीं हुआ है, किन्तु मुख्य ये हैं:– मेहतर, सांसी, कंजर आदि। इन जातियों की गिरी हुई दशा को सुधारने के लिये कुछ रकम व्यय करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री धर्मपाल—सांसी और कंजर जो बारह महीने चलते-फिरते रहते हैं उनके लिये भी क्या सरकार कोई प्रबन्ध करेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां, करेगी।

प्रश्न संख्या ७७१

श्री अध्यक्ष—श्री माधोलाल।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ७७२

श्री संग्रामसिंह (वि० सं० ३४)—क्या सार्वजनिक निमार्ण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

देवगढ़ कस्बे से कांवलीघाट स्टेशन तक सड़क जगह जगह से टूट रही है और इतनी बुरी अवस्था में है कि यातायात की बसें और ट्रक टूटते रहते हैं। उसकी मरम्मत की ओर क्या सरकार ध्यान देगी।

श्री भोलानाथ—अवश्य ध्यान देगी ।

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ७७३

श्री अध्यक्ष—श्री धर्मचन्द ।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ७७४

श्री बी. एन. जोशी—Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) What steps the Government have taken to secure the total cessation of the interference by the Officials deputed by the States Ministry as counsellors etc., in the day-to-day working of the Government and its various departments ?

(b) Whether the Rules of Business inforce in Rajasthan at the time of the formation of the Ministry headed by Shri Tika Ram Paliwal continue to be the same or whether they have been changed ?

(c) Whether any representations have so far been made by those concerned to secure any change in the Rules of Business ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(a) There is one Counsellor whose advise is always available to the State Government on certain subjects agreed to. There are no Advisers.

(b) No change was made in the Rules of Business but the duties allotted to the Counsellor were changed in the light of communication received from the Government of India.

(c) Changes in the Rules of Business are under consideration of the Government ?

श्री एच. के. व्यास–Have the Rajasthan Government made any representation to the States Ministry in this regard ?

श्री जयनारायण व्यास–The Rajasthan Government does not propose to make any representation to the States Ministry in this behalf. The Rajasthan Government can change their Rules of Business and a copy of the changed Rules of Business is sent to the Ministry of States.

श्री एच. के. व्यास—Does the Rajasthan Government propose to abolish the Counsellor altogether ?

श्री जयनारायण व्यास—This question is pre-mature.

प्रश्न संख्या ७७५

श्री धर्मपाल—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में जिलेवार पुलिस इन्सपेक्टर व सब इन्सपेक्टरों की संख्या कितनी है ?

(२) इनमें से क्या कोई हरिजन भी किसी जिले में है ?

(३) जिलेवार कॉन्सटेबिलों की संख्या कितनी है और इसमें से सबसे अधिक किस जाति के हैं ?

(४) क्या किसी जिले में हरिजनों में से भी कॉन्सटेबिल लिये गये हैं ?

(५) यदि हां, तो किस जिले में और कितनी संख्या में लिये गये हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—(१) सूची मेज पर रख दी गई है। जी हां दो हरिजन सब-इन्सपेक्टर बांसवाड़े में हैं।

(२) सूची मेज पर रखदी गई है चूंकि भरती जाति को ध्यान में रख कर नहीं की जाती इसलिये कहना कठिन होगा कि किस जाति की बहुतायत है। बहुत से जिलों में हरिजन कॉन्सटेबिल तैनात हैं उनकी सूची मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री धर्मपाल—जो सूची मेज पर रखी गई है उसकी एक कॉपी मुझे मिलनी चाहिये।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—मेज पर रखने के सम्बन्ध में कुछ बातें मेरे ध्यान में आई हैं और मैं गवर्नमेन्ट की तरफ से माननीय अध्यक्ष के ध्यान में लाना चाहता हूं। मेज पर रखी गई सूची की कॉपी किसी भी विधान सभा में पहले नहीं दी जाती और इस सम्बन्ध में अपने नियम भी स्पष्ट हैं। मेज पर रखी गई सूची की कॉपी बाद में दी जा सकती है। इसलिये स्पीकर इसका फैसला करेंगे।

श्री धर्मपाल—गंगानगर जिले में कुछ हरिजनों के साथ बुरा वर्ताव किया गया उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही सरकार ने की है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह दूसरा प्रश्न है। यदि इस प्रकार का प्रश्न होगा तो उसका जवाब दिया जावेगा।

प्रश्न संख्या ७७६.

श्री बी. एन. जोशी—Will the Minister of Education be pleased to state :—

(a) Why fixation of the pay scale of the school teachers belonging to the former Jaipur State has not so far been announced ?

(b) Whether the Government is considering the restoration of the recent Rs. 5/- per month cut in the dearness allowance paid to such teachers ?

(c) Whether on fixation such teachers would be paid the arrears of their salaries and allowances etc., with retrospective effect ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)— 1. The fation has been done. According to the circular of the Finance Department the Treasury Officers have been asked to pass the arrear bills according to the fixation done by the Department. The fixation will later on be checked by the Accountant General and recoveries, if any, can be made. Hence the bills have been sent to the Treasury Officers for arranging payment.

2. The rate of the dearness allowance is uniform for all and the amount deducted will be adjusted in the fixation against the increment they may have received in the revised grades.

3. Yes. From 1-4-50.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—प्रश्न (ए) का उत्तर नहीं दिया गया है ; इसमें यह पूछा गया है कि फोर्मर जयपुर स्टेट के अध्यापकों का फिक्सेशन एनाउन्स क्यों नहीं किया गया ?

श्री भोलानाथ—फिक्सेशन अन्य जगहों का भी हो रहा था इसलिये देर हुई ।

प्रश्न संख्या ७७७ तथा ७७८

श्री अध्यक्ष—श्री धर्मचन्द ।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ७७६

श्री रघुराजसिंह—Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) Why the grants from covenanting States of Rajasthan to the Mayo College have been discontinued after the merger of the States ?

(b) How much arrears are outstanding uptill now ?

(c) When does the Government expect to clear off these arrears ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(*a*) The States of Jodhpur, Alwar, Bharatpur and Karauli had discontinued payment of the grants before Rajasthan was formed. In respect of contribution payable by the other covenanting States of Rajasthan, the arrears due upto 1950 were paid and it was decided by Government to stop payments from 1951-52 onwards, in view of financial stringency, as it was not possible even to meet the requirements of educational institutions in Rajasthan.

(b) No arrears are outstanding. The Mayo College authorities are asking for payment of amounts in respect of States of Jodhpur, Alwar, Bharatpur and Karauli which had stopped payment before formation of Rajasthan. No arrears in respect of those States for the period prior to the discontinuance of the grants are due.

(c) In view of the reply to (b) this question does not arise.

श्री रघुराजसिंह—Is it a fact that the Chief Minister had promised to pay all the arrears ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—The Cheif Minister had not only promised to pay the arrears but paid all the arrears and if there are any arrears proved, then the Chief Minister would pay all the arrears.

प्रश्न संख्या ७८०

श्री धर्मपाल (डि. नं. ३७)—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या राजस्थान के किसी जिले में सवर्णों द्वारा किसी हरिजन को कत्ल किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो कौन से जिले में ? कब और किस लिये कत्ल किया गया ?

(ग) कितने कातिलों का गिरफ्तार किया है और कितने फरार हैं ?

(घ) सरकार इन मुकद्मों में क्या कर रही है ?

श्री जयनारायण व्यास—जी हां, दो को; एक सवाई माधोपुर में २०-९-५१ को, दूसरा जिला भरतपुर में ६-७-५१ को ।

सवाई माधोपुर वाले मुकदमे में देवपाल चौकीदार पकड़ा गया और उस पर मुकदमा चला जिसमें उसे तीन साल की सख्त सजा और ७००) रुपये जुर्माना हुआ ।

(२) जिला भरतपुर वाले मुकदमे में आठ अपराधी पकड़े गये और १९-७-५१ को चालान कर दिया । हत्या के कारण विचाराधीन हैं ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या गंगानगर में भी ऐसा कोई वकुआ हुआ ?

Page No.11

श्री जयनारायण व्यास—मेरे सामने इसकी कोई फाइल नहीं है ।

श्री धर्मपाल—क्या कूताराम हरिजन को वहां कत्ल किया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—मैंने अर्ज किया कि मेरे पास सब फाइलें नहीं हैं । और जो प्रश्न था उसका जवाब दे दिया गया है ।

श्री धर्मपाल—इसी प्रकार क्या एक भील की भी हत्या की गई ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ७८१

श्री बी. एन. जोशी—Will the Education Minister be pleased to state:—

(a) Whether any action is proposed to be taken to meet the general shortage of accommodation in most of the State schools ?

(b) Whether the Government is prepared to make substantial allocation for financing the construction of school building out of the amount or amounts allotted for development of education under the Five Year Plan ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—Yes. Special provision for immediate additions and alterations have been asked for. If the same is allowed in the budget we may be able to meet some of the requirements.

It would be better if some Philanthropic persons come forward and give some monetary help for buildings for schools.

(b) This is not possible as the amount is to be spent in development according to the various schemes of the plan.

प्रश्न संख्या ७८२

श्री अध्यक्ष—श्री रिद्धिचन्द पालीवाल ।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ७८३

श्री अध्यक्ष—श्री सुगनचन्द जैन ।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ७८४

श्री रघुराजसिंह—Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) Why pensions have not been given by the Rajasthan Government to Thikana servants who were either thrown out of employment or were getting pensions from the Thikanas before the Jagirdars' (Abolition of Powers) Ordinance (No. X of 1948), was promulgated inspite of the fact that assurance to consider such cases favourably had been given by the Revenue Minister on behalf of the Chief Minister while replying to Question No. 169 on 28-10-52.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—

(a) Government had accepted the liability of payment of pensions to only those Thikana servants who were already in receipt of pensions from the Thikanas before 1949 in accordance with Thikana Service Rules. Where Thikanas had no pension rules or where there were no definite commitment for payment of pensions for the service rendered in the Thikanas the employees who were retired on account of taking over the management of the Jagirs as a result of Jagirdars' (Abolition of Powers) Ordinance (No. X of 1948) cannot be given pensionery benefits.

No assurances were given by the Revenue Minister against the above mentioned principles.

प्रश्न संख्या ७८५

श्री रघुराजसिंह—Will the Home Minister be pleased to state :—

(a) Has the Government taken any steps to prevent further dacoities in Shahabad and Kishanganj Tehsils of Kotah District ?

(b) If so, what ?

(c) Are the Police outposts at Deori, Khandela and Sandhari etc., provided with breech-loading guns or with muzzle-loading guns only ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(a) Yes.

(b) It is not in public interest to disclose them.

(c) It is not in public interest to reply to this question.

प्रश्न संख्या ७८६ तथा ७८७

श्री अध्यक्ष—श्री रिद्धिचन्द पालीवाल ।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ७८८ (१३०/डी. सी. एम.)

श्री रघुराजसिंह—Will the Home Minister be pleased to state :—

(a) How many dacoities have taken place in Kishanganj and Shahabad Tehsils in each of the past three years ?

(b) How many dacoities out of the above have been apprehended and how much property was recovered ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(a) 1950—Nil.

1951—4.

1952—5.

(b) 13 dacoities have been arrested and property worth Rs. 30,920/- has been recovered.

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)—जो प्रोपर्टी रिकेवर की गई है वह वापिस दे दी गई है या सरकार के पास है ।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—यह प्रश्न नया है और इसके लिये नोटिस चाहिये ।

प्रश्न संख्या ७८९ (१०५ पी. डब्ल्यू. एम.)

श्री अध्यक्ष—श्री रिद्धिचन्द पालीवाल ।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ७९० (१०६ पी. डब्ल्यू. एम.)

श्री रोशनलाल शर्मा—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या उदयपुर जिले में कडाया गोंद का कस्टम लिया जाता है ?

(ख) यदि नहीं तो कोटडा तहसील के कस्टम नाका माभेर पर बम्बई प्रान्त में जाने वाले गोंद पर क्यों लिया जाता है ?

(ग) यदि हां, तो स्वरूपगंज स्टेशन से बम्बई प्रान्त को भेजे जाने वाले पर क्यों नहीं लिया जाता है ?

(घ) स्वरूपगंज स्टेशन से कडाया गोंद (कथीला) कितना सन् ५१-५२ में राजस्थान से बाहर गया एवं उसका कस्टम टैरिफ के अनुसार (जिस प्रकार माभेर नाके पर वसूल होता है) कितना रुपया होता है ?

श्री **भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)**–(क) कडाया या कटीला गोंद का कस्टम कहीं भी नहीं लिया जाता है।

(ख) कस्टम नाका माभेर पर भी कडाया अथवा कटीला गोंद पर कस्टम टैक्स नहीं लिया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) सन् ५१-५२ में स्वरूप गंज स्टेशन से ४,३९१ मन कडाया कथवा कटीला गोंद राजस्थान से बाहर गया और क्योंकि कटीला पर कोई ड्युटी नहीं है इसलिये कोई ड्यूटी वसूल नहीं की गई। कडाया व कटीला गोंद में कोई फर्क नहीं है।

श्री **रोशनलाल शर्मा**–क्या माननीय मंत्रीजी इसके लिए कमीशन नियुक्त करने के लिए तैयार हैं कि माभेर नाके पर कडाया गोंद पर कस्टम नहीं लिया जाता है? मैं आपकी सूचना के लिए बताऊं कि उदयपुर जिले के खेरवाडा आदि जगहों पर भी इस गोंद पर कस्टम लिया जाता है।

श्री **भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)**—कमीशन बिठाने की तो जरूरत क्या है? आप शिकायत के रूप में यह बात मेरे पास भेजिएगा, मैं उसकी जांच करवा सकता हूं।

श्री **रोशनलाल शर्मा**—मैंने कुछ दिनों पहले भी बताया था कि माभेर नाके पर इस गोंद पर कस्टम लिया जाता है। दो-चार दिन पहले की ही बात है?

श्री **भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)**—तो वह कटीला नहीं होगा। इसमें और कोई गड़बड़ होगी।

श्री **रोशनलाल शर्मा**—मेरे पास निश्चित रूप से सूचना है कि कडाया गोंद पर माभेर नाके पर कस्टम लिया जाता है?

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या दो-चार दिन पहले इस प्रकार की उनके पास शिकायत की गई थी? यदि शिकायत की गई तो क्या जांच की गई?

श्री **भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)**—दो-चार दिन में कोई शिकायत नहीं की गई।

श्री **रोशनलाल**—क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि कडाया और कथीला गोंद अलग अलग हैं क्या? क्या कथीला दूसरे वर्ग से पैदा होता है और कडाया दूसरे वर्ग से?

श्री **भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)**—मेरे खयाल से तो कोई फर्क नहीं है।

श्री **अध्यक्ष**—You are seeking information?

श्री **रोशनलाल**—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न साफ है?

श्री अध्यक्ष–Reply has been given. If you have to ask any supplementary questions, you can ask.

प्रश्न संख्या ७६१ (१३११ डी. सी. एम.)

श्री रघुराजसिंह—Will the Home Minister be pleased to state :—

(a) Does the Government know that there are no Police Chowkidars in Koela village in tehsil Baran of Kotah District for the last three or four years ?

(b) If so, why Chowkidars have not been appointed uptill now.

(c) Will the Government take immediate steps to do so now in view of the fact that a number of thefts have been committed in the village and its round about area ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(a) Yes.

(b) The question of organising the Chowkidari system on all-Rajasthan basis is under consideration of the Government. At present the system prevailing in the former Covenanting States is continuing. The question of appointing Chowkidars in all the villages will be taken up after the re-organisation of this system is finalised.

(c) Does not arise in view of part (b). But if the villagers can appoint Chowkidars with the help of the Police, they can be paid as is being done in some other parts of Rajasthan.

श्री रघुराजसिंह—क्या यह सही है कि गवर्नमेन्ट ने केवल ८ रुपया देकर ही चौकीदारों का मुकर्रर किया है और इस छोटी तनख्वाह पर वे लोग नहीं आना चाहते हैं ? क्या यह तनख्वाह वाजिब है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—गवर्नमेन्ट ने अभी मंजूरी नहीं दी है। पुराने चौकीदार पुरानी रियासतों और पुराने जमाने से ही मुकर्रर हैं। यही सिस्टम चला आ रहा है। नये चौकीदार मुकर्रर करने का प्रश्न सरकार के सामने है। जब पुनर्गठन का मामला तय हो जायगा तो चौकीदार वाजिब तनख्वाहों पर मुकर्रर किये जावेंगे। अभी जो चौकीदार मुकर्रर हैं वे अलग अलग गांवों की ओर से हैं और गांव वालों ने अपनी ओर से उन्हें मुकर्रर किया होगा। गांव वालों ने उनको अपनी जिम्मेदारी पर ही मुकर्रर किया होगा।

श्री रघुराजसिंह—चौकीदार पुलिस डिपार्टमेन्ट की ओर से मुकर्रर किए गए हैं।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—गवर्नमेन्ट ने चौकीदारी सिस्टम को रिकग्नाइज नहीं किया है।

Page No.16

श्री रघुराजसिंह—क्या रिकग्नाइज करने को तैयार नहीं है। उनको सरकार कोई रियायतें नहीं देगी ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—इसीलिए तो नया संगठन करने के लिए स्कीम बनाई गई है। जब तक नई स्कीम पास न होजाय नए तरीके से तनख्वायें नहीं दी जा सकती हैं।

श्री रघुराजसिंह—स्कीम तो सारे राजस्थान के लिए है। क्या टेम्प्रेरी अरेन्जमेन्ट करना मुमकिन नहीं होगा ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—यह सौभाग्य की या दुर्भाग्य की बात है कि जो भी स्कीम होगी लागू की जायगी। एक एक भाग के लिए स्कीम लागू किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। जो भी स्कीम होगी वह सारे राजस्थान के लिए लागू की जायगी।

श्री अध्यक्ष—श्री अवनि कुमार।

प्रश्न संख्या ७६२ (१०७ पी. डब्ल्यू. एम)

श्री अध्यक्ष—श्री अवनि कुमार।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ७६३ (१०८ डी. डब्ल्यू. एम.)

श्री कस्तूरचन्द—यह प्रश्न मैंने नहीं रखा है।

(प्रश्न श्री कस्तूर चन्द, सदस्य विधान सभा द्वारा ही भेजा गया, किन्तु उनके कहने पर यह प्रश्न सदन में नहीं लिया गया)

प्रश्न संख्या ७६४ (१३३ डी. सी. एम.)

श्री दीनबन्धु परमार—क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) उदयपुर जिले में कस्बा ऋषभदेव में एक यात्री के ११ साल के लड़के को पुलिस के सिपाही ने भाले से मारा, जो ऋषभदेव अस्पताल में जेर इलाज है ?

(२) भाला मारने वाले अपराधी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि पुलिस वाले ने जान-बूझ कर भाला मारा ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(१) जी हां।

(२) कांस्टेबल को मुअत्तिल कर दिया गया है और शीघ्र ही मुकद्दमा न्यायालय में पेश किया जावेगा।

Page No.17

[श्री जयनारायण व्यास)

(३) इस बात का फैसला तो न्यायलय ही कर सकेगा।

श्री अध्यक्ष—श्री कस्तूर चन्द।

प्रश्न संख्या ७६५ (११०।पी. डब्ल्यू. एम.)

श्री कस्तूरचन्द—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) भीलवाडा जिले में रायला रोड पर भूतपूर्व निर्माण मंत्री श्री भूरेलाल जी बया ने बापूनगर निर्माण का जो शिलान्यास किया था वह कब किया था?

(ख) क्या रायला में निर्माण कमेटी भी कायम की गई थी?

(ग) अगर हां, तो उस कमेटी के कितने आदमी हैं और उनके क्या क्या नाम हैं?

(घ) वहां पर बापूनगर बसाने के लिए कितने हजार के प्लाट बिके थे और वह रकम किनके पास है?

(ङ) सरकार बापूनगर बसाने के लिए इकट्ठी की गई रकम कब तक किस काम में खर्च करेगी?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—सरकारी तोर पर इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई, अतः सरकार के पास इस बारे में काई जानकारी नहीं है।

श्री भैरू सिंह केलवा—तो क्या सरकार बापूनगर के विषय में जानकारी प्राप्त करना नहीं चाहती?

श्री अध्यक्ष—श्री कस्तूर चन्द।

(प्रश्न संख्या ७६६ (१११।पी. डब्ल्यू. एम.)

श्री कस्तूर चन्द—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्नलिखि प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) भीलवाडा जिले में कितने कस्टम ऑफिस हैं और कहां कहां हैं और उनका क्या अधिकार हैं?

(ब) क्या सुनार लोग चांदी सोने के जो जेवर बनाते हैं, उनको कस्टम ऑफिस से परखी लगा कर के लोगों को बनी हुई चीजें देते हैं?

(स) क्या यह काम कस्टम ऑफिस से हटा दिया है?

(ड) अगर नहीं हटाया गया है तो तहसील बनेड़ा में क्यों नहीं कस्टम आफिस परखी करता है?

(इ) क्या कस्टम आफिस शराब व अफीम, गांजा आदि नशीली चीजों की भी परख करता है?

Page No.18

[श्री कस्तूरचन्द]

(फ) अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं ?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)–(अ) भीलवाड़ा जिले में असिस्टेन्ट कमिश्नर, कस्टम एण्ड एक्साइज का दफ्तर खास भीलवाडा में है। इसके अलावा इन्स्पेक्टरान व नाकेदरान के दफ्तर हैं, जिनकी सूची साथ है। इनके अधिकार राजस्थान सरकार के प्रचलित कानूनों में दर्ज हैं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

(ब.स.ड.) सुनार लोगों के बने हुए माल की जांच नहीं की जाती, यह काम कस्टम से हटा दिया गया और ऐसी जांच ही अब बन्द करदी गई है। इसलिए तहसील बनेड़ा के विषय में प्रश्न ही नहीं उठता।

(इ) हां, नशीली चीजों की परख होती है।

(फ) इसका उत्तर 'स' में आ जाता है।

श्री कस्तूर चन्द–क्या माननीय मंत्रीजी यह बतलाएंगे कि परखी नहीं लगाने से किसानों को को कोई नुकसान तो नहीं होता? सुनार चांदी और सोना तैयार करके दे देते हैं और सोने में पीतल मिला देते हैं तो क्या यह किसानों के साथ अन्याय नहीं है? सरे बाजार लूट नहीं हो रही है?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—जो सोना खरीदने की तैयारी रखता है तो उसको इतनी तो योग्यता होनी चाहिये कि वह उसका ध्यान रखे। अगर उसको गलत और खोटा माल मिलता है तो वह ४२० का मुकद्दमा दायर कर सकता है।

श्री कस्तूर चन्द—पहले कस्टम वालों ने परखी क्यों लगाने का सिस्टम रखा था?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—पहले की बात पहले गई।

श्री कस्तूर चन्द—अब बन्द क्यों की गई है?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—अब लोग चतुर हो गए हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगर ४२० के मुकद्दमें दायर कर दिए जॉय तो क्या स्टेट मिनिस्ट्री उनको बिदड़ा तो नहीं करवायेगी।

श्री अध्यक्ष—आर्डर! नेक्सट!

प्रश्न संख्या ७६७ (१२४। डी. सी. एम.)

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या उप-मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(१) क्या पंचवर्षिय योजना में बनास विशलपुर प्रोजेक्ट को योजना में लिया गया है?

[राव राजा श्री सरदारसिंह]

(२) क्या सरकार के पास यह प्रोजेक्ट तैयार है ?

(३) तैयार है, तो इससे कितनी भूमि को पानी मिल सकेगा ?

(४) अगर योजना में लिया गया है तो कब तक इसका कार्य चालू किया जावेगा ?

(५) अगर नहीं लिया गया है तो अब सम्मिलित योजना बनाने के संबंध में सरकार क्या विचार है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (संयोजन मंत्री)—(१) यह काम पंचवर्षीय योजना में नहीं लिया गया था ।

(२) इस योजना की सरकार से मंजूरी ली जा चुकी है और इसका विस्तृत तखमीना (detailed estimates) सरकार को पेश करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं ।

(३) इससे करीब १ लाख एकड भूमि की खरीफ में व ३०,००० एकड भूमि की रवी में सिंचाई की जा सकेगी ।

(४) यह कार्य निधि प्राप्त हो जाने पर शुरू कर दिया जावेगा ।

(५) पंचवर्षिय योजना में शामिल करने की कोशिश की गई थी परन्तु रुपयों की कमी के कारण शामिल नहीं हो सका ।

श्री अध्यक्ष—नेक्सट ।

प्रश्न संख्या ७६८

श्री खेतसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) जोधपुर से जैसलमेर जाने वाली सड़क पर कितना रुपया खर्च किया जावेगा ?

(ब) यह सडक बननी कब शुरू हो जायगी ?

(स) इस सड़क को तैयार करने में कितना समय लगेगा ?

(ड) क्या यह सड़क पक्की डामर रोड़ बनेगी ?

(इ) इस सडक को गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की डिफेन्स रोड्स में रक्खा गया है या नहीं?

(ग) यह सडक ठेके पर बनाई जायगी अथवा सरकार के महकमा पी. डब्ल्यू.डी. के मारफत बनाई जायगी ?

(ज) क्या सरकार को यह मालूम है कि शेरगढ़ को जाने वाली दस टनर धान ले जाने वाली लारियां व शेरगढ़ से जोधपुर को पत्थर लाने वाली बड़ी बड़ी लारियां इस सडक पर से अगर राज चला करती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सडक को महज कंकर कुटी हुई बना देना उपयुक्त समझती है ? यदि नहीं, तो इसे कितने अर्से में डामर की बना देने का सरकार का विचार है ?

Page No.20

श्री **भोलानाथ** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—जोधपुर से जैसलमेर तक कच्ची सडक पहिले से ही मौजूद है। इसमें से जोधपुर से अंगोली तक पक्की सडक बनाई जा रही है जिस पर करीब ४,७३,००० रुपया व्यय होगा।

(ब) फिलहाल जोधपुर से अंगोली तक की सडक पर कार्य प्रारम्भ हो गया है। बाकी हिस्सा जैसे जैसे, रुपया मिलेगा, पक्का बनाया जायगा।

(स) जोधपुर अंगोली सडक की आगामी वर्ष में समाप्त होने की आशा है। दूसरे हिस्से के लिए कार्य प्रारम्भ होने पर कुछ कहा जा सकता है।

(ड) अभी डामर नहीं किया जायगा।

(ई) अभी कोई निश्चयात्मक निर्णय नहीं हुआ है, ठेके द्वारा ही कराई जा रही है।

(ग) हां, किन्तु द्रव्या भाव के कारण कार्य शनैः शनैः ही हो सकता है।

श्री **अध्यक्ष**—Next. Question No. 799.

प्रश्न संख्या ७९९

श्री **खेतसिंह**—क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) जोधपुर शेरगढ मोटर सर्विस से सरकार को क्या आमदनी होती है ?

(ब) जोधपुर शेरगढ सडक पर कितने परमिट मोटर चलाने के लिए मिले हुए हैं ?

(स) क्या सरकार को मालूम है कि सिर्फ मैसर्स शिवरामसिंह के अलावा सभी परमिट होल्डर्स मुकर्रर सवारियों से अधिक मोटर की छत पर इन्सानों को बिठाकर लाते हैं। यदि हां, तो सरकार ऐसे होल्डर्स के परमिट क्यों नहीं कैन्सिल करती है ?

श्री **भोलानाथ**—(अ) १६,२४० रुपया वार्षिक।

(ब) २३।

(स) नहीं। परमिट्स कैन्सल करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ड) नहीं।

प्रश्न संख्या ८००

श्री **विशम्भर नाथ जोशी**—Will the Minister for Planning be pleased to state:—

(a) The total number of employees at present in the employ of the Planning Department ?

[श्री विशम्भरनाथ जोशी]

(b) Will he further state the total monthly expenditure on this Department at present ?

(c) Has the Department been able to prepare a blue-print for Rajasthan so far ?

(d) Has the Department commenced work on any project under the Five Year Plan ?

(e) Have any projects been completed under the Five Year Plan in Rajasthan ?

(f) Is the Minister satisfied with the working of the Department ?

श्री भोगीलाल पंड्या (योजना मंत्री)—(अ) सामुहिक विकास योजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों की संख्या १८८ है। पंचवर्षीय योजना के लिए कोई पृथक स्टाफ नहीं है।

(ब) सामुहिक विकास योजना की सूचना एकत्रित की जा रही है और वह टेबिल पर रख दी जायगी।

पंचवर्षीय योजना के संबंध में भाग (अ) का उत्तर देने के बाद प्रश्न पैदा नहीं होता।

(स) जी हां।

(द) जी हां।

(य) सामुहिक योजना मार्च, १९५५, में पूर्ण होगी किन्तु पंचवर्षीय योजना के कुछ सिचाई और मार्ग आदि के कार्य समाप्त हो चुके हैं।

(फ) जी हां। किन्तु और प्रगति की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्सट।

प्रश्न संख्या ८०१

श्री विशम्भर नाथ जोशी—Will the Minister for Planning be pleased to state:—

(a) What ratio the amount allotted for Rajasthan under the Five Year Plan bears to the amount allotted to each of the three adjoining States of Bombay, Punjab and Uttar Pradesh ?

(b) Will he state as to why his Department has failed to secure for Rajasthan an amount commensurate with the importance, size and potentialities of this State ?

श्री भोगीलाल पंडया (योजना मंत्री)--(अ) वास्तविक दशा इस प्रकार है:—

राज्य	करोड की संख्या में वह धनराशि जो पंच-वर्षीय योजना के लिए दी गई है	अनुपात	पंचवर्षीय योजना में दी गई धनराशि का प्रतिशत
राजस्थान	१६.८१	१.००	०.८१
पंजाब	२०.२१	१.२०	०.९८
उत्तर प्रदेश	९४.३	५.६१	४.५६
बम्बई	१४६.४४	८.७१	७.०८
भारत	२०६८.७८		१००.००

नक्शा जो कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के संबंध में मेज पर रख दिया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

(ब) इसमें शक नहीं कि उपरोक्त नक्शे में जो अंक दिये गये हैं उनमें राजस्थान को दी जाने वाली राशि कम है किन्तु इनमें चम्बल , हरिके, भाखरा नांगल आदि बहु उद्देशीय योजनायें सम्मिलित नहीं हैं जिनसे कि राजस्थान को बहुत अधिक लाभ होगा । भाखरा में राजस्थान का हिस्सा करीब २९ करोड होगा । हरिके प्रोजेक्ट ४० करोड की और चम्वल योजना करीब ५० करोड की है । ये समस्त व्यय भारत सरकार देगी जो कि १०६३.३ लाख के अतिरिक्त है । इस प्रकार यदि कुल लाभ ध्यान में रख लिया जावे तो राजस्थान का भाग भी ज्यादा कम नहीं है । फिर भी प्रयत्न किया जा रहा और लघु सिंचाई के लिए अभी ३३,२०,०००)का कर्ज मिला है और अगले तीन वर्षों के लिए २ करोड ५ लाख रुपयों का कर्जा और मिलेगा ।

श्री **विशम्भरनाथ जोशी**—यह कर्जे के रूप में होगा या ग्रान्ट के रूप में ?

श्री **भोगीलाल पंड्या** —कर्जे के रूप में ।

प्रश्न संख्या ८०२

श्री **अध्यक्ष**—श्री संतोष सिह ।

(अनुपस्थित —कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(प्रश्न–समय शेष रहने के कारण पहले के प्रश्न लिये गये)

श्री **अध्यक्ष**—श्री गंगासिंह, प्रश्न संख्या ७५९ ।

प्रश्न संख्या ७५६

श्री गंगासिह--Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) Is it a fact that in the Secretariat, officers are being kept on communal basis ?

(b) Is it a fact that the officers belonging to a particular community have been purposely and systematically ousted from the Secretariat and there is not a single officer of that community in the Secretariat ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)— (अ) No.

(ब) No.

श्री मानसिंह महार—क्या यह सही है कि गवर्नमेन्ट प्रेस में बहुत ज्यादा मुसलमान नौकर रखे गये हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—यह प्रश्न बिल्कुल अलग है।

श्री भेरूंसिंह (दांता रामगढ़)—यह प्रश्न अलग होगा, पर सफेद टोपी का लिहाज करके ही जवाब दे दीजिए।

(श्री मानसिंह महार सफेद टोपी पहने हुए थे)

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—प्रश्न कर्ता से प्रश्न करता हूं कि यह सफेद टोपी उनको फिट भी होती है या नहीं ?

श्री जसवंतसिंह—यह सफेद टोपी क्या ४२० नम्बर की है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री कस्तूर चन्द।

श्री कस्तूरचन्द—मैंने पूछ लिया है साहब।

श्री अध्यक्ष—Now Shri Santosh Singh.

(अनुपस्थित)

श्री सुगनचन्द—(अनुपस्थित)

श्री मनफूलसिंह—(अनुपस्थित)

श्री माधोलाल—(अनुपस्थित)

श्री धरमचन्द—(अनुपस्थित)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

श्री मनसाराम पुरोहित (सचिव, विधान सभा)—Sir, I lay on the table a statement showing the Bills passed by the Rajasthan Legislative Assembly during the last session and which have been assented to either by the President of India or by His Highness the........(बाधा)

श्री जसवन्तसिंह—Sir, before we proceed. . . .

श्री अध्यक्ष—This is formal motion. Your adjournment motion will come. Have petience.

श्री मानसिंह—सुनाई नहीं देता, ।

श्री मनसाराम पुरोहित (सचिव, विधान सभा)—I lay on the table a statement showing the Bills which were passed by the Rajasthan Legislative Assembly during the last session and the current session and which have assented to either by the President of India or by His Highness the Rajpramukh.

(a) Bills assented to by the President:—

1. The Rajasthan Forest Bill, 1952.
2. The Rajasthan Minor Irrigation Works Bill, 1952.
3. The Rajasthan Habitual Offenders Bill, 1952.
4. The Rajasthan Famine (Suspension of Proceedings) Bill, 1953.

(b) Bills assented to by His Highness the Rajpramukh:—

1. The Rajasthan Indian Medicine Bill, 1952.
2. The Rajasthan Produce Rents Regulating (Amendment) Bill, 1953.
3. The Jaipur District Boards (Extention of Terms) Bill, 1953.
4. The Rajasthan Appropriation (No. I) Bill, 1953.
5. The Rajasthan Appropriation (No. II) Bill, 1953.

स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—Before we come to the regular business of the House I read out an Adjournment Motion by the Hon'ble Shri Jaswant Singhji.

"Shri Laxmichand Tiwari, a nominee of the Sanyukt Dal Party who had filed petition against the election of Shri Laduram Chowdhry and got him unseated was purposely arrested by the Police at Jaipur on the 16th April, 1953, in order to prevent him to file his nomination at Sikar for the Neem-ka-Thana 'A' Constituency against a Congress candidate."

Have you to say anything about the admissibility of this ?

श्री जसवन्तसिंह—Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष—Nothing on the merits.

श्री जसवन्तसिंह—I will not say anything on the merits.

[श्री जसवन्तसिंह]

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि अगर इस मोशन को डिस्कस करने की इजाजत दी जायगी तो मैं इस सदन के सामने बड़े दुःख के साथ यह साबित करूंगा कि हमारे इस सदन के बहुत बड़े महानुभाव द्वारा हमारे एक नोमिनी (nominee) को जिसको कि हम नीम का थाना 'ए' कान्स्टिट्यूएन्सी उसे खड़ा करना चाहते थे, जिसको बाइ-इलेक्शन (bye-election) के लिए, हमारी पार्टी ने चुना था जानबूझकर, अरेस्ट (arrest) करवाया गया ताकि वह नोमिनेशन फार्म न भर सके। यह जरूरी इसलिए भी है कि हमारी जनहितकारी सरकार यह समझती है कि हम इस तरह का कार्य करके भाग सकते हैं। यह कदापि नहीं हो सकता, यह डेमोक्रेसी में चल भी नहीं सकता। बात यह है कि एक आदमी आखिरी वक्त, आखिरी तारीख को, जो नोमिनेशन पेपर भरने की तारीख १८, मुकर्रर हुई थी, उस तारीख को उस व्यक्ति का हमारे दल की तरफ से नोमिनेशन फार्म भरने के लिए जाना था। चुपचाप, बगैर किसी कारण के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस आते हैं कि आपसे कुछ बात-चीत करनी है और इस बहाने वे पुलिस के अधिकारी उनको बाहर ले चले जाते हैं। इस तरह से वे उनको एक दिन गायब रखते हैं। तब हमें यह मालूम होता है कि वह पुलिस कस्टडी में हैं। जेल से छुड़ाने की कोशिश की गई किन्तु सरकार के बड़े अधिकारियों ने मजिस्ट्रेट तक के कार्य में इन्टरफियरेन्स किया और आज तक उनको बेल (bail) पर भी नहीं छोड़ा गया। जैसा कि पिछली दफा शंकर के कलेक्टर, रिटर्निंग आफिसर थे उन्होंने इनका फार्म रिजेक्ट कर दिया था अब की बार जब उनको किसी प्रकार का जरिया नहीं मिला तो उन्होंने यह ठीक समझा कि इसको यहां से भगाया जाय, बेल (bail) का स्वीकार न किया जाय, इसमें भी एक बड़े महानुभाव का हाथ था और जिनके कहने से यह जुल्म किया गया और उस व्यक्ति को डेलीबरेटली (deliberately) रखा गया पुलिस कस्टडी में। सन् १९५१ के छोटे से चोरी के मामले में, जिसमें उस व्यक्ति का नाम निशान भी नहीं था, पकड़कर कस्टडी में रखा गया। मजिस्ट्रेट महोदय बेल देने को तैयार थे, लेकिन गवर्नमेन्ट की तरफ से जोर दिया गया कि बेल (bail) होने मत दो। यह राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के लिए, खास तौर से कांग्रेस सरकार के लिए बड़े शर्म की बात हो रही है। यह राजस्थान विधान सभा के मेम्बरों के लिए भी जो बातें हो रही हैं यदि मेरे मोशन को अलाउ (allow) किया गया तो मैं उन सब बातों को बताऊंगा। यह हैं रूल्स जिनके अनुसार मेरे मोशन को अलाउ किया जा सकता है।

"(i) Not more than one such motion shall be made at the same sitting ;"

इस प्रकार का तथा एक ही तरह का यह मोशन है।

"(ii) the motion must relate to a single specific matter of recent occurrence."

यह भी कन्डिशन इसमें लागू होती है। यह मामला १६ तारीख का है और तारीख १८ को नॉमिनेशन की अन्तिम तारीख थी और आज हाउस का पहला दिन है।

"(iii) the motion must not revive discussion on a matter which har been discussed in the same session or for the discussion of which by a motionfos adjournment leave was refused in the same session;"

[श्री जसवन्तसिंह]

मेरे मोशन आफ एडजॉर्नमेन्ट पर यह भी कन्डिशन लागू होती है ।

"(iv) the motion must not anticipate a matter which has been previously appointed for consideration or with reference to which a notice of motion has been previously given regard being had to the probability of the matter anticipated being brought before the Assembly within a reasonable time;"

यह भी कन्डिशन मेरे इस मोशन पर लागू होती है ।

"(v) the motion must not deal with a motion on which a resolution could not be moved;"

यह भी शर्त लागू होती है ।

"(vi) the motion must not relate to a matter of privilege or a matter debatable only upon a substantive motion;"

यह भी शर्त इस मोशन पर लागू होती है ।

"(vii) the motion shall not deal with any matter which is under adjudication by a Court of Law having jurisdiction in any part of India."

यह भी कन्डीशन इसमें लागू होती है । तो यह मामला ऐसा है जो नियमों के माफिक होता है । इसलिए माननीय अध्यक्षजी से मेरी विनीत प्रार्थना है कि आज डेमोक्रेसी के नाम पर जो धब्बा लगाया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े महानुभावों का सम्मिलित हाथ है इस सदन के सामने यदि मेरे एडजोर्नमेन्ट मोशन को डिस्कस किया जायगा तो मैं प्रमाणित करूंगा कि किस प्रकार हम बजाय उन्नति के अवनति के गहरे गड्ढे में गिर रहे हैं । इस ओर हमें कौन ले जा रहा है ? अगर मेरा मोशन मंजूर हो गया तो ये सब बातें प्रमाणित करने की कोशिश करूंगा ।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, जो एडजोर्नमेन्ट मोशन अभी प्रस्तुत किया गया है उसके पक्ष में सबूत देने के लिए कुछ बातें विरोधी पक्ष के नेता ने कही हैं । उनमें एक बात यह है कि यह पब्लिक इम्पोर्टेन्स का, रिसेन्ट आकरेन्स (recent occurrence) का मोशन है । यह एडजोर्नमेन्ट मोशन मुझे सदन के मिलने के पांच मिनिट पहले मिला था । १६ तारीख और २० तारीख के बीच चार दिन बीत चुके हैं । अगर विरोधी पक्ष के नेता या जिस दल से वे संबंध रखते हैं अगर वह दल इस मामले की इम्पोर्टेंस समझता तो कम से कम ८-१० दिन पहले मुझे सूचना दी जानी चाहिये थी लेकिन फिर भी मैंने, उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई, इस बारे में जल्दी से जल्दी सूचना पाने की कोशिश की कि मामला आखिर क्या है । अगर विरोधी पक्ष के नेता इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं और अगर वे इसकी जरूरत का अनुभव करते तो वे मुझे अवश्य सूचना देते । फिर भी मैं सदन की जानकारी के लिए इस मामले की कुछ बातें बता देना चाहता हूं ।

श्री जसवन्तसिंह—Can we go into the merits of the case ? In that case I also want to go into the merits of the case, because many things could be revealed. I want to know whether it would be admissible or not. As regards its merits there are quite a good number of things to be said.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—मैं इसके मेरिट में जाना नहीं चाहता केवल इतना ही कह देना चाहता हूं कि यह मामला चोरी का मामला है। इस मामले को सिर्फ राजस्थान सरकार ही इन्वेस्टीगेट नहीं कर रही है बल्कि भारत सरकार का सी. आई. डी. विभाग भी इसको इन्वेस्टीगेशन कर रहा है। जो मामला विचाराधीन है उस पर विचार नहीं किया जा सकता और मैं प्रार्थना करता हूं कि इस मोशन को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—Do you want to object to the admissiblity of this motion ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष—This adjournment motion on its very face seems to have assumed importance and it might be said that it is a matter of public importance. But as the Hon'ble mover of the motion has said, the date of filing the nomination paper was 18th April and two days have passed after that, so I do not think there is a recurring wrong being done to the candidate. One thing.

If the House would have been in session and the date of nomination would not have expired and the gentleman or the man concerned would have been in the Police custody or in judicial custody, then there would have been a different case from what it is now.

Moreover, when a particular person has been arrested in due course of law and the matter is under adjudication of a Court of Law, even if I allow the adjournment motion for the purpose of raising a debate, it will be very difficult to demarcate a line as to this whether House is not transgressing the limits which are desireable to be maintained in sub-judice cases.

So I do not think I can allow this adjournment motion for the purpose of raising a debate. But because the matter is otherwise important I would like the Minister-in-chagre to make a statement on the facts of the case so that the position might be clarified.

श्री जसवन्तसिंह—Sir, If you permit me I have to submit a personal explanation, before the Hon'ble Chief Minister makes the statement. I will not go into the merits of the case but the whole case has been misunderstood. That is all I want to say.

Page No.28

श्री अध्यक्ष—There is no question of misunderstanding so far as I am concerned. I am quite clear. I would have allowed the Adjournment Motion if the wrong would have been a recurring one. The date of nomination has expired and the gentleman was arrested in due course of law. This House does not think it proper, rather it is not permissible under the rule to discuss a case which is pending decision in a Court of law. If you want to say anything else, you can do so. I think the decision is quite clear.

श्री जसवन्तसिंह—All this we challenge that no regular process of law has been adoptted in this case. We say that it was a deliberate action of the Government. His arrest was not done in a regular way. He was kidnapped. He was not put in a regular custody. We have got a very serious grievance against this action of the Government.

श्री अध्यक्ष—Now the point is whether he is under a judicial or other proper custody ?

श्री जसवन्तसिंह—Now he is under Police custody after being kept in an illigal custody for some time.

श्री अध्यक्ष—That is a different matter. We are concerned with the present state of affairs. He was arrested and taken in the lock-up without any lawful authority, that may be correct........

श्री जसवन्तसिंह—He was kidnapped.

श्री अध्यक्ष-He was kidnapped or anything ? Was he arrested purposely without any proper order ?

श्री जसवन्तसिंह--Yes.

श्री अध्यक्ष—But that stage has passed because he is now in a judicial lock-up. If we discuss that thing now, is it proper for the House to discuss a case which is pending judicial decision in a Law Court? That is the point to see

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)-Mr. Speaker, Sir, this is a very old case and not a new case just to concoct to arrest a man in order to prevent him from filing nominations. The First Information Report of this case was received long back. I cannot remember the date but it was not in 1953. The file is not in Jaipur. I will just read out the First Information Report as it stands :—

"One Munna, son of Govind Brahmin of Jaipur, accused in case FIR No. 742 of 1950 u/s 457, I.P.C., P.S. Kotwali, Jaipur, disclosed to Shri Vinod Singh Dy.

[श्री जयनारायण व्यास]

S.P. Headquarters, Jaipur that the theft of Quran Sharif from the Dargah of Miyan Sahib at Dayara, P.S. Khandela was committed by the following about 2 years ago :—

(1) Govind Narain, S/o Mohan Lal Brahmin of Khandela.

(2) Baliya S/o Kujjo Mina of Alunda, P.S. Khatu.

(3) Gopi Nath, S/o Bhura Purohit of Kot, P.S. Udaipur at present at Khandela.

Govind Narain accused has confessed before Munda Brahmin. The Dy. S.P. Headquarters brought these facts to the notice of A.I.G, C.I.D. Rajasthan who directed him to make efforts for the recovery of Quran Sharif. Shri Govind Singh, Dy. S.P. Headquarters deputed informers and Shri Sarwar Ali, S.I. Police, Ramganj Jaipur, to trace out the books. Inspector Talwar was deputed by A.I.G., C.I.D. with Dy. S.P. Hqrs. for the investigation of the case.

Baliya son of Kujjo Mina of Alauda, who has been arrested in case No. 72 of 1951, u/s 457 I.P.C. Nawalgarh was interrogated. He confessed that he along with Gopi Nath and Govind Narain Purohit of Khandela committed the theft of the Quran Sharifs about two years back and handed over the books to both the accomplices.

Shri Sarwar Ali S.I. gave information that one of the Quran Sharifs is with one Shri Bhanwar Lal, Photographer, Proprietor, Royal Photo Art Palace, Chandpole Bazar, Jaipur. Shri Govind Singh, Dy.S.P. Hqrs., along with Shri Rajpal Singh, Dy.S.P., Inspector Sohan Lal Talwar of C.I.D., S.I. Udai Singh of C.I.D. raided the shop of Shri Bhanwar Lal Photographer. The photographer admitted that he has received the Quran Sharif from one Gopi Ram Mahajan Patangwala of Jaipur for taking photographs of the eight pages of the Quran Sharif. He presented the Quran Sharif worth Rs. 1,12,000/- and eight (one unexposed and 7 exposed) negative photos of Quran Sharif which were taken into possession.

Shri Gopi Ram Patangwala of Jaipur was interrogated who first did not clear as to how he got the book but afterwards deposed that the Quran Sharif was given to him by Shri Laxmi Chand alias Bhanwarji Purohit of Jaipur and Govind Narain Purohit of Khandela to arrange a sale of the book.

Shri Laxmi Chand showed ignorance about the book but afterwards disclosed that the three Quran Sharifs were given to him by Govind Narain, he gave them to Shri Gopi Ram and he disposed of the two books to one J.N. Modi of Hapur and the third one has been recovered.

[श्री जयनारायण व्यास]

Shri Govind Narain confessed to have committed this crime along with Baliya Mina and Gopi Nath Purohit of Khandela and he and Laxmi Chand handed over the three Quran Sharifs to Gopi Ram, two Quran Sharifs and one pair of shoes is with Gopi Nath. Purohit Govind Narain, Gopi Ram and Laxmi Chand were arrested u/s 457 I.P.C. on 16-4-53 and have been remanded to Police custody for 7 days. Efforts are being made for the arrest of Gopi Nath and recovery of other four books.

The bail application of all the three accused was heard by City Magistrate Jaipur, on 18-4-53. P.I. argued the case and Inspector Talwar was also present. The application will be again heard on 20-4-53. The case is being investigated by Inspector Talwar under the supervision of Shri Govind Singh, Dy, S.P., Headquarters, Shri Udey Singh and Shri Roshan Singh S.Is., C.I.D. are also helping Inspector Talwar."

These are the facts of the case. The latest information is that this gentleman has been released on bail. Now......................

श्री जसवन्तसिंह—That does not matter.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—Now the case relates to two years back. Investigations have been going on for two years and it is not a new thing which has cropped up just now. The whole thing has been going on under due process of law. I do not know anything. I am very much astonished to find that the case has been given so much importance. It might be true that the gentleman might have filed the nomination just in order to grab the issue that a man who filed a nomination had been arrested. The question has been going on for a long time and I cannot stop the process of justice.

श्री जसवन्तसिंह—I can say that the facts stated in this statement are contrary to the facts of the case and I am prepared to challenge the whole thing.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—It is a matter under the adjudication of a Court of Law and we should not interfere in a decision of the Law Court.

श्री जसवन्तसिंह—No, Sir, I am not talking of a Law Court. A bail has been granted on the 16th and it has been done deliberately under the instructions, I am sorry to say, of some of the Government officials. This is all I want to say.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—I repudiate this allegation, Sir,

श्री जसवन्तसिंह—And I challenge it, Sir.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—I accept the challenge.

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

(विराम)

श्री टीकाराम पालीवाल, भूतपूर्व उप-मुख्य मंत्री, का वक्तव्य

I have received a request from the Hon'ble Shri Tika Ram Paliwal that he wants to make a statement.

(विरोधी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, इस सदन के प्रति जिम्मेदार रहते हुए पहले मुख्य मंत्री की हैसियत से............

एक माननीय सदस्य—Little louder please.

श्री अध्यक्ष—Keep patience you will hear all.

श्री टीकाराम पालीवाल—बाद में उपमुख्य मंत्री की हैसियत से एक वर्ष से कुछ अधिक समय तक मेरा सबंध इस राज्य के शासन संचालन से रहा है। इस समय में मुझे इस सदन का जो विश्वास, सहयोग एवं सद्भावना प्राप्त रही उसके लिए सदन के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं (करतल ध्वनि) साथ ही इस सारे इस झमेले के होते हुए जो सद्भावनायें आपकी सार्वजनिक सेवाओं में मुझे मिलीं उसके लिए भी मैं अत्यन्त आभारी हूं।

दुर्भाग्यवश पिछले कुछ महीनों से माननीय मुख्य मंत्री एवं मेरे बीच प्रशासनिक मामलों में दृष्टिकोण का कुछ मौलिक मतभेद पैदा हुआ। मैंने प्रयत्न भी किया कि हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को सही तौर से समझ कर शासन संचालन के मूल भूत मामलों में एकमत होकर कार्य कर सकें पर इस प्रयत्न के दौरान में प्रकट हुआ कि कुछ व्यक्तिगत मामलों को लेकर कडवाहट भी पैदा हो गई और अंत में मुझे लगा कि शासन से अलग हट जाना ही, ऐसी अवस्था में, मेरे लिये श्रेयस्कर होगा।

यद्यपि अब सीधा कोई संबंध मेरा शासन संचालन से नहीं रहने वाला है फिर भी इस राज्य के नागरिक और इस सदन के एक सदस्य की हैसियत से इस राज्य के शासन और यहां की जनता की सर्वतोमुखी उन्नति और सार्वजनिक सेवा में मेरी दिलचस्पी कभी कम होने वाली नहीं है।

(करतल ध्वनि)

Page No.32

श्री जसवन्तसिंह--Sir, we understand that two more Ministers have also resigned.

श्री अध्यक्ष--Order ! It is not for you to invite them to make a statement. We now proceed to the business of the day.

श्री जसवन्तसिंह—I want to submit one thing, not with regard to this but with regard to other things.

श्री अध्यक्ष—I think there is no Adjournment Motion again.

श्री जसवन्तसिंह-आज की कार्यवाही शुरू हो इससे पहले मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अर्ज करूंगा कि आज राजस्थान में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि कुछ मिनिस्टर्स तो यहां से विदाई ले रहे हैं और कुछ नये आ रहे हैं। विरोधी पक्ष की ओर से जो सहयोग रहा है उसके लिये धन्यवाद देना और नये आये हैं उनके स्वागत के लिये कुछ कहना मैं आवश्यक समझता हूं जैसा कि आम तौर से ऐसी स्थिति में सब जगह हुआ करता है।

श्री अध्यक्ष--I think you have expressed it.

श्री जसवन्तसिंह--I want to say something which others do not know.

श्री अध्यक्ष—We take it that you have expressed.

श्री जसवन्तसिंह--No, Sir, it is important. The Speaker has every right.............

श्री अध्यक्ष--No. I will not like to hear anything fair or unfair from the Leader of the Opposition. I am guided by a particular set of Rules of Business and Members who resign from the Cabinet have a right to make a statement. You will get so many opportunities to welcome or congratulate those who come or go out. But this is not the right time. So we proceed with the business of the day.

पुरः स्थापनार्थ विधेयक

राजस्थान मोटर स्पिरिट विक्रय करारोपण विधेयक, १९५३

श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)-Sir, I introduce a Bill to provide for the levy of a tax on the retail sale of motor spirit in the state of Rajasthan.

श्री अध्यक्ष—Next.

राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—Sir, I beg to introduce a Bill to amend the Rajasthan Town Municipalities Act, 1951.

राजस्थान भूमि विशेष-सिंचाई प्रभार विधेयक, १९५३

श्री भोगीलाल पंडया (सिंचाई मंत्री)–Sir, I beg to introduce a Bill to provide for the levy of special charges in respect of land included in irrigation schemes.

प्रवर समिति को दिये गये विधेयक

राजस्थान जिला समिति विधेयक, १९५३

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—Sir, I beg to move that the Bill to provide for the establishment and constitution of District Boards in Rajasthan be referred to a Select Committee consisting of the personnel......

श्री अध्यक्ष—You give the personnel.

श्री रामकरण जोशी—We shall give just now.

(कॉंग्रेस पक्ष के मुख्य प्रतोद (चीफ व्हिप) से मन्त्रणा)

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)–We will consult the opposition and then give names.

श्री अध्यक्ष—Motion moved. The question is that the Bill to provide for the establishment and constitution of District Boards in Rajasthan be referred to a Select Committee, the personnel to be nominated later.

(स्वीकृत)

The motion is adopted.

विचार-विमर्श हेतु विधेयक

राजस्थान कृषि-आय कर विधेयक, १९५३

श्री भोलानाथ—Sir, I beg to move that the Bill to provide for the levy of a tax on agricultural income-derived from lands situated in Rajasthan, as reported upon by the Select Committee, be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

(विराम)

श्री भोलानाथ—Sir, I also move that the Bill be passed.

श्री जसवन्तसिंह—इतनी जल्दी ? आपने खूब सुविधा देखी ।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)—माननीय अध्यक्ष, जिस वक्त यह देश स्वतन्त्र हुआ....

श्री अध्यक्ष—I want to know on what subject you want to speak.

श्री भैरूंसिंह—प्रिन्सिपल्स पर बोल रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—That stage has gone. Bring out your amendment.

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—ओन ए पोइन्ट ऑफ ओर्डर, सर, यह बिल मुझे आज मिला है । मैं जिस इलाके से आया हूं उससे यह कन्सर्न्ड (concerned) है। मैंने पहले भी बहुत से अमेन्डमेन्ट्स पेश किये पर उनका क्या हुआ, कुछ मालुम नहीं ? इस पर मैं अमेन्डमेन्ट्स पेश करना चाहूंगा । इसलिये इस बिल को आज पेश नहीं किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–I am informed that the Bill was despatched to your address on the 11th.

I think the time was sufficient.

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—मुझे आज तक इस बिल की कॉपी नहीं मिली । इसके लिये मेरा हक छीनना कहां तक ठीक है ?

श्री अध्यक्ष–Order ! There are several amendments and when we take the Bill clause-by-clause, if the House permits, You can also move your amendment.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)—यह मैं अपना अमेन्डमेन्ट पेश करता हूं :

(श्री मानसिंह महार के साथ श्री भैरूंसिह (दांता रामगढ) ने अपना संशोधन श्री अध्यक्ष के पास भेजा)

श्री अध्यक्ष–Shri Bhairon Singh has moved that the Bill be circulated to elicit public opinion.

श्री भैरूंसिह (दांता रामगढ)—माननीय अध्यक्ष, जिस वक्त से भारतवर्ष आजाद हुआ उस वक्त से जनता यह सोच रही थी कि कम से कम सामन्ती युग से तो जनता पर

[श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)]

टैक्सेज का भार कम होगा लेकिन उनकी इच्छायें पूरी नहीं हुई और आजादी के पश्चात् भी उनके सामने जो परिवर्तन आया वह अजीबोगरीब आया । राजाओं के समय के टैक्सें को कम न करके उन टैक्सों के नाम बदल कर वे जनता पर लाद दिये गये । राजस्थान सब से पिछड़ा हुआ देश है । इस बात को यह सदन, भारत सरकार और राजस्थान की जनता भली प्रकार समझती है और साथ-साथ यह भी समझती है कि राजस्थान की उन्नति का मुख्य उद्देश्य कृषि की उन्नति करना है। यदि कृषि में उन्नति हुई तो राजस्थान की उन्नति होगी और इसी कृषि की उन्नति के कारण राजस्थान की जनता सुखी और समृद्धशाली बन सकेगी । राजस्थान में एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार की ओर से, राजस्थान सरकार की ओर से कई प्रकार की योजनायें बनाई गईं और बनाई जा रही हैं। कई जगह सिंचाई के जरिये और खेतों के जरिये बनाये जा रहे हैं और कई जगह नहरें और बन्ध और तालाबों की मरम्मत कराई जा रही है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि कृषि विभाग में तरक्की हो और उत्पादन ज्यादा हो जिससे सोशियल एक्टिविटीज़ ज्यादा से ज्यादा चले और जिससे राजस्थान की जनता बेकवर्ड कहलाने से बाहर निकल सके; लेकिन अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि जब भारत प्रजातन्त्र हुआ और उसके बाद जितने भी लेजिस्लेशन पेश किये गये उन सब में थोड़ा थोड़ा टेक्सेशन आया। जैसे, पंचायत एक्ट पेश किया गया है उसमें भी टैक्स का प्रश्न आया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट पेश किया गया उसमें भी टैक्स लगाया गया और अब यह बिल एग्रिकल्चर इनकम टैक्स के रूप में हमारे सामने उपस्थित किया गया है।

यह बिल राजस्थान विधान सभा की ओर से सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया था और यह सिलेक्ट कमेटी के पास हो कर आया है। सिलेक्ट कमेटी में यह बेकार ही समझा गया क्योंकि सिलेक्ट कमेटी में भी विरोधी दल के सदस्यों ने अपना नोट ऑफ डिफरेन्स ऑफ ओपिनियन (note of difference of opinion) दिया है । आज सदन में दूसरे पक्ष की मेजारिटी है इसलिये बहुत मुमकिन है कि पास भी कर दिया जाय। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि इससे जनता का बहुत अहित होने वाला है। राजस्थान की कृषि जनता यह समझती थी कि राजस्थान में रिपब्लिक (Republic) होने के बाद उन लोगों का कुछ हित होगा और खास कर उन लोगों का हित होगा जिनका जीवन राजस्थान में कृषि पर निर्भर है। यदि उन पर इस प्रकार के टैक्स लगाये गये तो बजाय उनको प्रोत्साहन देने के उनको अप्रोत्साहित किया जायगा और उनकी सारी की सारी उमगें और भावनायें, जो प्रजातन्त्र राज्य बनने से पहले थीं, वे सब स्वप्न तुल्य ही रह जावेंगी और इसका नतीजा यह होगा कि जनता को बहुत तकलीफ होगी। इसलिये मेरा तो आपसे यह निवेदन है जिन लोगों का इस बिल से सम्बन्ध है या जो लोग इस बिल से प्रभावित होने वाले हैं उन लोगों की राय इस बिल को पास करने से पूर्व जानी जाय। यदि वे चाहते हों कि इस प्रकार के टैक्स लगा दिये जावें तो लगा दिये जावें। प्रजा की राय नहीं जानना तो मैं यह कहूंगा कि प्रजातान्त्रिक ढंग का नमूना नहीं होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को पास करने से पूर्व इसको जनता की राय जानने के लिये भेज दिया जावे और यदि जनता की राय यह हो कि इसको पास कर दिया जाये तो इसको कन्सीडरेशन स्टेज पर लाकर आइन्दा कार्यवाही की जावे।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—यह बहस आगे बढ़े इससे पहले मैं यह दर्याफ्त करना चाहता हूं कि जैसे मेरे मित्र श्री गुरुदयालसिंह ने कहा कि कुछ एमेण्डमेंट उन्होंने पेश किये हैं और वे एमेण्डमेण्ट नहीं आए हैं तो क्या कुछ एमेण्डमेण्ट आ रहे हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—I think we have none.

श्री कानसिंह—मैं क्लेरिफिकेशन (Clarification) के लिये कुछ अर्ज करना चाहता हूं। अभी इस बिल के बारे में श्री गुरुदयालसिंह ने सदन के सामने यह कहा था कि इस बिल की कॉपी उनके पास पहुंची नहीं और अमेन्डमेन्ट भी आ गये ; इसमें कौनसी बात सही है ?

श्री अध्यक्ष—It does not appeal to reason. On the one hand, he did not get a copy of the Bill and on the other he says that he has moved certain amendments. These are very contradictory. We are not interested in withholding amendments.

श्री गुरुदयालसिंह—यह बात माननी पड़ेगी कि आज ८ बज कर १० मिनट पर यह बिल मिला। जब तक मुझे मौका ही नहीं दिया जाये अमेन्डमेन्ट कैसे भेजे जा सकते हैं। सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट से पहले अमेन्डमेन्ट भेजे थे।

श्री मानसिंह (जमुवा रामगढ़)—(सफेद टोपी पहिने खड़े होने पर करतल-ध्वनि और हंसी)

श्री अध्यक्ष—Well, if at some other time you will rise with a cap on, I will not allow it.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—जब तक इलेक्शन पिटीशन चल रहा है तब तक के लिये तो इजाजत दी जाये।

श्री मानसिंह (जमुवा रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, अभी मेरे मित्र ने राजस्थान एग्रिक्लचरल इनकम टैक्स बिल के सम्बन्ध में, जो सिलेक्ट कमेटी के पास से आया है, यह कहा कि इसको पब्लिक ओपिनियन के लिये सर्क्युलेट किया जावे। इसके बारे में सबसे पहले मुझे यह निवेदन करना है कि सिलेक्ट कमेटी में जो इस बिल पर विचार हुआ है वह बहुत ही इकतरफा हुआ है। इस सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट से यह मालूम पड़ता है कि २१ सदस्यों में से विरोधी पक्ष के सिर्फ ७ आदमी ही थे और इसके अलावा सत्तारूढ़ दल के १४ आदमी थे। इसके बावजूद दूसरी बात यह है कि यह एग्रिक्लचर टैक्स उन लोगों पर लगने वाला है जो गांवों में रहते हैं और खेती करते हैं और बड़े पैमाने पर खेती करते हैं ; न कि उन लोगों पर, जो बड़े बड़े कस्बों में रहते हैं या वकालात से अपना निर्वाह करते हैं। इस बात को देखते हुए मैं यह अर्ज करूंगा कि सिलेक्ट कमेटी में वकीलों की मेजोरिटी थी। यदि वहां वकीलों की मेजोरिटी के बजाय खेतिहरों की मेजोरिटी होती और ऐसा तय करती तो हमें मंजूर होता। तीसरी बात यह है कि सिलेक्ट कमेटी में खुद में मतभेद है और विरोधी दल के सभी सदस्यों ने अपना

[श्री मानसिंह]

नोट ओफ डिसेन्ट (Note of dissent) दिया है। ऐसी सूरत में यह देखना है कि इसको बहुत ही सोच-समझ कर पास किया जावे।

उस हालत में हमारे पास जो सबसे सरल उपाय है वह यह है कि इस बिल को पब्लिक ओपिनियन के लिये सर्क्युलेट किया जाय, जनता की राय ली जाय और यह देखा जाय कि वास्तव में जनता यह चाहती है या नहीं कि यह बिल पास होना चाहिये। यह बहुत जरुरी चीज है और हम सबको इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि इस समय राजस्थान में हमारी सरकार ने कोई खास नया काम नहीं उठाया है और अगर पैसे की जरूरत है और अगर सरकार ने प्रोहिबिशन (prohibition) किया होता और उस वक्त उनको दो-तीन करोड़ का घाटा होता और फिर यह एग्रिकल्चर इनकम टैक्स बिल लाया जाता तो यह दूसरी बात होती और हम भी सहर्ष उनका साथ देते। किन्तु इस वक्त कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है। ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि इस बिल को बड़ी तसल्ली, शान्तिपूर्वक और सोचविचार के साथ पेश किया जाना चाहिये था और अब सबसे बड़ा फायदा यही हो सकता है कि इस बिल को पब्लिक ओपिनियन के लिये सर्क्युलेट कर दिया जावे और वहां से राय जानने के बाद उस राय के साथ इस सदन में विचार के लिये प्रस्तुत किया जाय। इन्हीं दो शब्दों के साथ हमारे मन्त्रीजी से अपील करूंगा कि वे हमारे इस छोटे से प्रस्ताव को मन्जूर करके अपनी कोऑपरेशन की भावना को उदारचित्त होकर दिखावें तो अच्छा है।

श्री कानसिंह—अध्यक्ष महोदय, इस वक्त सदन के सामने प्रश्न यह है कि यह एग्रिकल्चर इनकम टैक्स बिल पब्लिक ओपिनियन के लिये शाया किया जाय। इस बिल के बारे में जो सिलेक्ट कमेटी नियुक्त की गई थी और जिसके बारे में मेरे लायक दोस्त, पूर्व वक्ता श्री मानसिंह जी ने अभी कहा था कि इस कमेटी में उन लोगों की मेजोरिटी थी जिनका खेती से कम ताल्लुक है अथवा वे खेती करते ही नहीं। यह तो इस कमेटी की पर्सनल्स (Personnel) लिस्ट का मुलाहिजा करने से साफ जाहिर हो जाता है कि सिलेक्ट कमेटी के अन्दर किसान वर्ग की अथवा खेती करने वालों की संख्या बहुत ही न्यून थी और ऐसी हालत में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस बिल का उनके द्वारा विरोध करने पर भी और अल्पसंख्यक होने की वजह से भी सिलेक्ट कमेटी से पास होकर आ गया और इस प्रकार यह पास हो कर आजाना कोई महत्व की बात नहीं है। एक तरफ तो ऐसी हालत में यह बिल जब कि खेती करने वालों की नुमाइन्दगी बहुत थोडी तादाद में है और सिलेक्ट कमेटी द्वारा बहुत आसानी से पास कर दिया गया है और दूसरी तरफ जब हम इस सदन में देखते हैं तो मालूम होता है कि जब इस पर विचार विनिमय करने का मौका आयगा तो सरकार की तरफ से कांग्रेस पार्टी को यह कह दिया जायगा कि इसको पास कर दिया जाय, ऐसा सर्कुलर जारी कर दिया जायगा; क्योंकि खेती से ताल्लुक रखने वाले इस सिलेक्ट कमेटी में भी अल्पसंख्या में हैं और इस हाउस में भी अल्प संख्या में हैं। किन्तु जो शक्ल पहले हमें दिखाई दे रही है और जिस प्रकार सिलेक्ट कमेटी से इसको पास कर दिया गया है उससे साफ जाहिर है कि यह बिल इस सदन से भी उसी तरीके से पास कर दिया जायगा और इससे खेती करने वालों की नुमाइन्दगी का कोई महत्व नहीं रह जाता है। मेरे लायक दोस्त श्री भैरूंसिहजी ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है कि यह बिल पब्लिक ओपिनियन

Page No.38

[श्री कानसिंह]

के लिये सर्क्युलेट किया जाय, ठीक है। मैं इसको और भी जरूरी समझता हूं उस हालत में जब कि इस सदन में काश्तकारों के नुमाइन्दे कांग्रेस पार्टी के आदेश के खिलाफ अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उनके लिये यहां व्हिप (Whip) जारी हो जाने से रुकावटें पैदा होती हैं, अतः यह बिल पब्लिक ओपिनियन के लिये अवश्य सर्क्युलेट किया जाय ताकि यह मालूम हो जाय कि इस बिल को जनता, जिन पर इनका असर पड़ने वाला है पास करना चाहती है या नहीं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस अमेन्डमेन्ट का समर्थन करते हुए माननीय मन्त्रीजी से अनुरोध करूंगा कि वे इस विषय में कोई आपत्ति नहीं उठायें और इसको पब्लिक ओपिनियन के लिये सर्क्युलेट करने के लिये सहमत हो जायं।

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—अध्यक्ष महोदय, माननीय भैरूंसिहजी ने इस बिल को पब्लिक ऑपिनियन के लिये सर्क्युलेट करने के लिए कहा है और इसका समर्थन भी हमारे सफेद टोपी वाले श्री मानसिहजी ने और श्रीमान् कानसिहजी ने किया है। मेरा खयाल है कि जो बातें कही गई हैं उनका आधार कच्चा है। पहले यह बताया गया है कि सामन्ती युग का अन्त होगया है और अब दूसरी बातें होनी चाहिये। यह मैं उनकी सूचना के लिये बता दूं कि अभी सामन्ती युग का अन्त नहीं हुआ है। यदि सामन्ती युग का जल्दी ही अन्त चाहते हैं तो आपको इसे जल्दी ही पास कर देना चाहिये ताकि सामन्ती युग का जल्दी ही अन्त होजाय। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं वह यह है कि जो कहा गया है कि यह बिल जल्दी जल्दी में पेश किया गया है, यह बात नहीं है। इस बिल के लिए एक समिति सन् ५२ में बनाई गई थी। उसने अक्टूबर में अपनी प्रिलिमिनेरी रिपोर्ट (preliminary report) दी और अब उसको अन्तिम रिपोर्ट हमारे सामने आई है। इस सम्बन्ध में एक नोट ओफ डिसेन्ट (note of dissent) भी आया है जिसमें कई बातों का समर्थन नहीं किया गया है। अतः यह बात भी कही जाय कि इस सम्बन्ध में विचार नहीं किया गया है, सही नहीं है। इसमें खेती से सम्बन्ध रखने वाले न हों, यह भी नहीं मानता। खेती करने वाले और खेती से सम्बन्धित व्यक्ति भी इसमें शामिल हैं। आप चाहें तो मैं सूची भी बता सकता हूं और यह कोई बहस की बात भी नहीं है। अब इसको वापिस ओपिनियन के लिये सर्क्युलेट करना, लोकमत जानने के लिये भेजना यह तो केवल देरी करने की बात होगी। मैं आपके साथ कुछ बातों के लिये सहमत हो सकता हूं। जिस तरह की असमानतायें बताई गई हैं या जिन बातों पर असहमति है उनके सम्बन्ध में मैं बातें करने के लिये तैयार हूं और अगर ऑपोजिशन भी बातें करने के लिये तैयार हो और इस विषय में अगर इस बिल को एक दो दिन के लिये स्थगित करना चाहें तो मैं इसके लिये तैयार हो सकता हूं।

श्री **अध्यक्ष**—That will come on the consideration stage when we come to the clause-by-clause discussion.

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—यह सब, क्लॉज बाई क्लॉज कन्सीड्रेशन में आ जायगा। जिन-जिन बातों पर असहमति है और उस पर जो काऑपरेशन (Co-operation) की अपील की गई है उसका उन्हीं शब्दों में मैं जवाब देना चाहता हूं और मुझे देना भी चाहिये। मैं उम्मीद करता हूं कि यह संशोधन वापिस ले लिया जायगा।

श्री भैरू सिंह (दांता रामगढ़)—इस संशोधन को वापिस लेने से पूर्व में माननीय मन्त्रीजी से क्लेरिफिकेशन (Clarification) चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष—अकेले में बातचीत करना चाहते हैं ।

श्री भैरू सिंह (दांता रामगढ़)—मैं दो एक बातों का क्लेरिफिकेशन करना चाहूंगा । इस बिल के ओब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में लिखा हुआ है कि

"As is well-known, the State is running on a deficit budget".

माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह संतुलित बजट है और उस संतुलित बजट में इस प्रकार के टैक्स की आमदनी दिखाई गई है । यदि आमदनी नहीं होती है तो क्या वाकई में वह डेफिसिट बजट था ? अतः किस बात को मान कर चला जाय । आपका यह बजट.....

श्री अध्यक्ष—We are not concerned with the Budget. We are concerned with the Bill before the House.

श्री भैरू सिंह (दांता रामगढ़)—यह बात इसी बिल से सम्बन्ध रखती है और इसीलिये आपकी जानकारी के लिये मैंने प्रस्तुत किया था ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं और वह है टैक्सेशन के सम्बन्ध में । राजस्थान सरकार की तरफ से फाइनेन्स कमीशन को जो मेमोरेन्डम (memorandum) पेश किया गया था उसके देखने से विदित होता है कि प्रान्तों के मुकाबले में यहां अधिक टैक्सेज हैं और सिवाय एक दो टैक्सेज के राजस्थान में जो टैक्सेज लिये जाते हैं वे अनुचित हैं । इस सम्बन्ध में मैं आपको एक लाइन पढ़ कर सुना देता हूं ।

श्री अध्यक्ष—Order ! I am afraid the Hon'ble Member is going back to the discussion of the principles of the Bill and I am afraid I cannot allow that stage.

So the only alternative before me is to put the motion for vote, unless he withdraws it.

(श्री भैरूंसिंह को सम्बोन्धित करते हुए ।)

Do you want to withdraw it?

श्री भैरू सिंह—I want to press it.

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is dropped.

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

We now come to consider the Bill clause by clause.

Now the original motion before we come to discuss the Bill clause by clause consideration is that the Bill to provide for the levy of a tax on agricultural income derived from lands situated in Rajasthan, as reported upon by the Select Committee, be taken into consideration.

(स्वीकृत)

The motion is carried.

(विराम)

Now we take clause 2.

श्री जसवन्तसिंह—The Chief Minister was pleased to say—and on that very assurance we did not press for a Division—that he was prepared to take the points of difference separately for consideration within two or three days. So we can proceed with the clauses of the Bill on which there is no amendment and the rest we can take afterwards.

श्री अध्यक्ष—That is all right. I think I have the leave of the House when I say this.

(विराम)

Mr. Yadav, do you want to say something on this?

श्री गोपीलाल यादव—That is all I wanted to say.

श्री अध्यक्ष—We come to Clause 2. Clause 1 and the Preamble will be taken after we have considered the whole Bill. I take Clause 2. There is no amendment to Clause 2. So I put this to vote. The question is that Clause 2 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 2 is added the Bill.

Then we come to Chapter II—Charge of Agricultural Income-Tax Clause 3.

(विराम)

The question is that Clause 3 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 3 is added to the Bill.

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

Clause 4.

(विराम)

The motion is that Clause 4 be stand part of the Bill.

(विराम)

But there is an amendment to Clause 4 by Hon'ble Shri Bhim Singh.

(श्री भीमसिंह को सम्बोन्धित करते हुए)

You can place your views before the House.

श्री **गोपीलाल यादव**—माननीय अध्यक्ष,....

श्री **भीमसिंह**—अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने बतलाया कि जितनी डिफ्रेन्स ऑफ ऑपिनियन्स (difference of opinions) हैं.....

श्री **अध्यक्ष**—You come on the main issue.

श्री **भीमसिंह (जारी)**—बहुत अच्छा, साहब ! तो क्लॉज ४ के अन्दर जो मैंने अमेन्डमेन्ट रखा है वह इस प्रकार है :—

"In Clause 4, line 3 after the words 'exceeds' and before the words 'at such' in the same bill the following be substituted for 'Rs. 5,000/";

'Rs. 5,833, and of a Hindu Undivided family Rs. 11,666".

मैंने यह जो अमेन्डमेन्ट रखा है वह इस विचार से रखा है कि जिस वक्त यह बिल तैयार किया गया था उस समय यह मंशा थी कि इसके अन्दर जो छूट आमदनी की दी जाय वह ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स की रेट्स जो हैं उनसे नजदीक रखी जावे। इनकम टैक्स में उस समय ३६००)रु० की आमदनी तक छूट रखी गई थी। इस लिहाज से राजस्थान के लिये यह उपयुक्त समझा गया कि क्योंकि खेती से जो आमदनी होती है उसमें ज्यादा दिक्कतें होती हैं, इस लिहाज से यहां और भी लीनियेंसी रखी जावे और इस तरह से शुरु में इसमें ५ हजार की आमदनी तक छूट की बात रखी गई थी। यह उस वक्त रखी गई थी जिस वक्त कि भारत सरकार में इनकम टैक्स की छूट की रेट ३६००) रुपया थी। इसके बाद संसद का सेशन हुआ। उसमें ३६००) को रेज (raise) करके ४२००) रुपये कर दिया गया।

ऐसी हालत में यह स्वाभाविक हो जाता है कि यह जो पांच हजार की रेट रखी गई है वह भी ३६००) रुपये और ४२००) रुपये के प्रोपोर्शन (proportion) के अनुसार बढ़नी चाहिये।

यह सोच कर अमेन्डमेन्ट मैंने रखा है।

इसके अलावा इस तरह की अगर छूट नहीं रक्खी गई तो जो अनाज के अन्दर अभी डेफिसिट है, अभी जो हमारे यहां अनाज की कमी है वह कभी कभी फुलफिल (fulfil) नहीं हो सकेगी। हम चाहते हैं, सरकार चाहती है, यहां तक कि हर एक नागरिक यह चाहता है कि लोग ज्यादा

Page No.42

[श्री भीमसिंह]

से ज्यादा अन्न उपजावें ताकि हम अपने इलाके में सेल्फ सपोर्टेड (self supported) होकर बाहर भी अन्न दे सकें। पर अगर अन्न पैदा करने वालों को कुछ सहूलियतें नहीं दी गई, कुछ राहत नहीं दी गई तो इस हमारे उद्देश्य में खामी आवेगी, लोग डिस्करेज्ड (discouraged) होंगे खेती करने में, क्योंकि आप टैक्स लगा देते हैं इतनी कम आमदनी पर और कोई लालच नहीं देते, कोई सहूलियत नहीं देने तो लोगों को प्रोत्साहन कैसे मिलेगा ? तो नतीजा इसका यह होगा कि इसमें बढोतरी का कभी भी मौका नहीं मिलेगा और कोंपल में ही यह इन्डस्ट्री नष्ट हो जावेगी।

दूसरी जो कमी है वह आगे के वर्ड्स में मैंने अपने संशोधन में रखी है। वह है—

"and of a Hindu undivided family Rs. 11,666/-".

यह इस खयाल से रखी गई है कि इनकम टैक्स के अन्दर भी, जो अनडिवाइडेड हिन्दू फेमिली होती है उसके लिये सेपरेट प्रोवीजन (separate provision) रखा गया है। इस बिल में सबको एक डंडे से हांक दिया गया है। कहावत है "टके सेर भाजी और टके सेर खाजा"; वही उदाहरण चरितार्थ हो जाता है।

अपने अपने देशों में रहन सहन के तरीके हैं। विलायत में व दूसरे मुल्कों में वह चीज नहीं जो हमारे देश में है। वहां जब बच्चा बड़ा होता है तो अपने बूढ़े मां-बाप को उनकी तकदीर पर छोड कर शादी होते ही मां-बाप से अलग हो जाता है। ऐसी परिपाटी हमारे यहां नहीं है। इसलिये यह जरूरी हो जाता है कि इस तरह शामिल रहने से जीवन उपार्जन का, कुटुम्ब का खर्चा भी ज्यादा होता है और इस खर्चे के हिसाब से उनको कुछ राहत मिलना भी जरूरी हो जाता है।

पर इस बिल को तैयार करने में भी योरोप की दृष्टि से देखा और सोचा गया है। अगर यह राहत हमारे यहां नहीं दी गई तो हमारे यहां भी यही होगा कि लडके बड होंगे तो होते ही सोचेंगे कि शादी कर ली है, वह खर्चा है ही ; यह मां-बाप का और संयुक्त परिवार का बरडन (burden) हम अपने सिर पर क्यों रखें ? किन्हीं परिस्थितियों में मां-बाप भी यही सोचेंगे कि किसी तरह इस बिल को ध्यान में रखते हुए कोई गली-कूचा ढूंडा जावे और जैसा रास्ता निकल सके वैसा करना है। टैक्स से बचने के लिये परिवार को अलग अलग करने लगेंगे। नतीजा यही होगा कि घर घर में विभाजन होगा। सदियों से चली आ रही हमारी संयुक्त परिवार की सामाजिक पद्धति नष्ट हो जावेगी। जिस प्रकार हमारे राष्ट्र के दो टुकडे हुए उसी तरह हमारी इस सामाजिक एकता का भी नाश होगा; कुटुम्ब कुटुम्ब में टुकडे होने लग जावेंगे क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो परिवार के बड़ होने से उसके भरण पोषण का काम मुश्किल हो जावेगा। ऐसी सूरत में इस बात का नतीजा यह होगा कि आज तक हिन्दू परिवार में सद्भावना से भरा-पूरा वातावरण हिन्दू गृहस्थ में जो सदियों से चला आ रहा है वह वातावरण नहीं रहेगा। शादी होते ही लड़का अलग हो जावेगा और माता पिता, जिनकी बुढापे में ताकत नहीं रहती, अलग होने से विपत्ति में पड जावेंगे। अहलकार, बाबू लोग जो होंगे वे तो फिर भी बुढापे में लिखा-पढ़ी का काम करके या कोई और हलका काम करके ही अपना गुजारा किसी तरह कर लेंगे पर

[श्री भीमसिंह]

काश्तकार के बूढ़े होने पर खेती करना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि खेती तो बिना मेहनत के हो नहीं सकती, क्योंकि ६० वर्ष का होने के कारण २१ साल के युवक की तरह वह मेहनत नहीं कर सकेगा। अभी यह होता है कि संयुक्त परिवार होने से बूढ़ा बाप घर में बैठा रहता है और लड़के काम करते हैं। जीवन भर का उसका खेती का जो तजुर्बा होता है उससे वह अपने लडकों को गाइडेंस देता है, उनका पथ-प्रदर्शन करता है और वे लड़के जो होते हैं वे खेत पर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और इस तरह दोनों का काम ठीक तरह से चलता है।

अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस बिल से राहत पाने के लिये यह कुदरती बात होगी कि घर का बांट करना होगा और बांट होकर बाप-बेटे अलग अलग हो जावेंगे। तो बाप अपने बुढ़ापे के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ रहेगा और बेटा तजुर्बे के अभाव में कठिनाइयां अनुभव करेगा।

इसलिये जो अमेन्डमेन्ट मैंने पेश किया है वह इस हिसाब से रखा है कि अनडिवाइडेड फेमिली के लिये कोई प्रोवीजन इस बिल में नहीं है। जो रखा जाना निहायत जरूरी है। आशा करता हूं कि मेरा अमेन्डमेन्ट सदन स्वीकार करेगा।

रेट्स इनकम टेक्स की जो ३६००) रुपये पर थी, अब जब कि उसकी जगह ४२००) रुपये कर दी गई है; जो रेट्स एक व्यक्ति के लिये थी जो दुगुनी कर दी गई है उसी हिसाब से ५८३३) रुपये का दुगुना हो जाता है ११,६६६) रु० इसलिये मेरा अमेन्डमेन्ट है वह मन्जूर हो जायगा तो यह क्लॉज इस प्रकार होगा :—

"Agricultural income tax shall be payable by a person whose total agricultural income of the previous year exceeds Rs. 5833 and of a Hindu undivided family Rs. 11,666. at such rate or rates as may be laid down from year to year by the annual Finance Act.

अब मुझे सिर्फ इतना ही अर्ज करना है कि इस बिल के जो सम्बन्धित मिनिस्टर हैं वे मेरे अमेन्डमेन्ट पर विचार करते हुए यह सोचें कि इस अमेन्डमेन्ट का होना जरूरी है या नहीं।

श्री **कानसिंह**—अध्यक्ष महोदय, वह जो अमेन्डमेन्ट श्री भीमसिंहजी ने सदन के सामने रखा है उसके बारे में मैं दो शब्द अर्ज करना चाहता हूं। जिस जिले से मैं आया हूं उसमें प्रायः खेती की आमदनी बहुत थोड़ी हुआ करती है अक्सर वहां अकाल रहा करता है, इसलिये वहां पर अच्छी व ज्यादा खेती करने वालों में उत्साह बढ़ाने के लिए पहले जो सरकारें हुआ करती थीं, चाहे आप उनको सामन्ती सरकार कहें, या और कुछ कहें किसी भी नाम से पुकारें, उस तत्कालीन सरकार ने यह नियम बना रखा था कि अगर कोई भी काश्तकार एक हजार मन से अधिक अनाज किसी साल में पैदा कर लेता था तो उसको एक नारियल और एक सिरोपाव बतौर इनाम के दिया जाता था और उसकी तमाम जगह प्रशंसा हुआ करती थी; गोया उस वक्त कितनी ज्यादा कर ज्यादा अनाज पैदा करने वाले की हुआ करती थी, उस समय उसको सिरोपाव और नारियल भेंट होता था। आज नारियल और सिरोपाव की जगह यह

[श्री कानसिंह]
एग्रीकल्चर इनकम टेक्स के रूप में सिरोपाव मिलता है। यह सिरोपाव दिया भी जाय तो कम से कम श्री भीमसिंह जी ने जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है वह बहुत कुछ मेरे जिले के लिए महत्व रखता है। वहां अनाज हरसाल ज्यादा तादाद में पैदा नहीं होता फिर भी उस जिले को इस बिल के प्रोविजन से एक्सेम्पशन तो नहीं रखा गया। उस जिले पर भी लागू किया जायगा जहां पर अनाज बहुत थोडा पैदा होता है। ऐसी हालत में मैं माननीय मंत्री महोदय से श्री भीमसिंह जी के अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करने की प्रार्थना करूंगा। इससे उस क्षेत्र के काश्तकारों पर बड़ी मेहरबानी होगी जहां पर अनाज बहुत कम पैदा होता है।

श्री **जयनारायण व्यास**—अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। जो मतभेद के क्लाजेज हैं उनपर संशोधन रखने वाले बहस करेंगे और फिर उस बहस का जवाब दिया जायगा। इसके बाद मतभेद मिटाने के लिए गुंजाइश कम रहती है इसलिये जिन क्लॉजेज पर मतभेद है उनको छोड़कर दूसरे क्लॉजेज को पहले ले लिया जाय तो बेहतर होगा ताकि यहां इनकमटेक्स विधेयक आदि उपाधियां देने की नौबत नहीं आयगी, उपाधियां वितरण करने का मौका ही नहीं आयगा। इसलिये जिन क्लॉजेज पर संशोधन हैं वे छोड़ दिये जावें और दूसरे क्लॉजेज ले लिये जावें तो ठीक रहेगा।

श्री **हिम्मतसिंह (अटरू)**—जैसा कि अभी माननीय मुख्य मंत्री ने फरमाया कि जिन क्लाजेज में विरोध हों वे बाद में लिये जावें और बाकी के एडॉप्ट कर लिये जायं। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि उन क्लाजेज पर हाउस की व्यू कैसे जानी जायगी जिन क्लाजेज को हमने छोड़ दिया है।

श्री **जयनारायण व्यास**—अगर उसके बाद भी कोई मतभेद होंगे तो वे अपने व्यूज हाउस के सामने एक्सप्रेस कर देंगे।

(श्री अध्यक्ष द्वारा खण्ड ४ के पढ़ने पर)

श्री **जवानसिंह**—इसमें मेरा संशोधन है इसलिये इसको पोस्टपोन कर लिया जाय और बाकी के मंजूर कर लिये जायं।

श्री **अध्यक्ष**—Clause 4 and the part (II) of the Schedule be held over?

श्री **जयनारायण व्यास**—Yes, I agree, Sir.

श्री **अध्यक्ष**—I think I have the leave of the House to pass over Clause 4?

(सदस्यों ने एक मत होकर "हां" कहा)

The leave is granted.

(विराम)

There are no amendments to Clauses 5 to 8.

श्री गोपीलाल यादव—Clause 6 is very important.

श्री अध्यक्ष—All right. I take it. There are no amendments to it.

श्री गोपीलाल यादव—They will come Sir.

श्री अध्यक्ष—No, not now. You will take pity on me and my office.

(विराम)

The question is clause 5 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 5 is added to the Bill.

(विराम)

The question is that Clause 6 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 6 is added to the Bill.

(विराम)

The Question is that Clause 7 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 7 is added to the Bill.

(विराम)

The Question is that Clause 8 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 8 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 9. The Question is....................

श्री जवानसिंह—On a point of information, Sir, धारा ९ को फिलहाल छोड़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--Is it the leave of the House that the consideration of clause 9 be deferred ?

(स्वीकृत)

The clause is deferred.

श्री अध्यक्ष—Clause 10. Motion moved.

(विराम)

The question is that Clause 10 stand part of the Bill.

(सर्वसम्मति से स्वीकृत)

Clause 10 is added to the Bill.

श्री अध्यक्ष—Clause 11. Motion moved.

(विराम)

The question is that Clause 11 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 11 is added to the Bill.

श्री अध्यक्ष—Clause 12 to 18.

(विराम)

The question is that Clauses 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 12 to 18 are added to the Bill.

अध्याय ४

श्री अध्यक्ष—Clause 19

(विराम)

The Question is that Clause 19 stand part of the Bill.

(सर्वसम्मति से स्वीकृत).

Clause 19 is added to the Bill.

श्री अध्यक्ष—Clauses 20 to 29

The Question is that Clauses 20 to 29 stand part of the Bill.

(सर्वसम्मति से स्वीकृत)

Clauses 20 to 29 are added to the Bill.

अध्याय ५

श्री अध्यक्ष—Clauses 30 and 31.

(विराम)

The question is that Clauses 30 and 31 stand part of the Bill.

(सर्वसम्मति से स्वीकृत)

Clauses 30 & 31 are added to the Bill.

अध्याय ६

श्री अध्यक्ष—Clauses 32 to 60.

(विराम)

The question is that Clauses 32 to 60 stand part of the Bill.

(सर्वसम्मति से स्वीकृत)

The Clauses 32 to 60 are added to the Bill.

अध्याय ७

श्री अध्यक्ष—Clauses 61 to 63.

(विराम)

The question is that Clauses 61, 62 and 63 stand part of the Bill.

(सर्वसम्मति से स्वीकृत)

Clauses 61 to 63 are added to the Bill.

अध्याय ८

श्री अध्यक्ष--Clauses 64 to 69.

(विराम)

The question is that Clauses 64 to 69 stand part of the Bill.

(सर्वसम्मति से स्वीकृत)

Clauses 64 to 69 are added to the Bill.

अध्याय ९

श्री अध्यक्ष--Clauses 70 to 78.

(विराम)

But we have got some amendments by Shri Jawan Singh.

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—वे अमेन्डमेन्ट सक्यूलेट नहीं हुए हैं।

श्री अध्यक्ष--I am sorry. There are some amendments to clause 9 and not to Chapter IX.

(विराम)

The question is that Clauses 70 to 74 stand part of to the Bill.

(सर्वसम्मति से स्वीकृत)

अध्याय १०

खण्ड ७५ से ७८

श्री अध्यक्ष--There are several amendments to Chapter X, by Shri Bhim Singh, Shri Mohabbat Singh, and Shri Jawan Singh......................

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—ये क्लाज डेफर्ड कर दिये जांय।

श्री अध्यक्ष--The whole Chapter should be deferred?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)--The Clauses 75 to 78 only, Sir.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to defer Clauses 75 to 78.

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत)

Clauses 75 to 78 are defered.

अध्याय १८

श्री अध्यक्ष--Clauses 79 to 91.

(विराम)

The question is that Clauses 79 to 91 stand part of the Bill.

(सर्वसम्मति से स्वीकृत)

Clauses 79 to 91 are added to the Bill.

श्री अध्यक्ष—Then we come to the schedule. I think sections 4 and 9 apply to this Schedule. So if the sections are amended, it will affect the sche-dule also.

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—पार्ट १ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।

श्री अध्यक्ष--I think it is the leave of the House........................

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—To Part I, there is no objection. Section 9 will affect the schedule.

एक आवाज—It will affect.

अध्यक्ष--We can adopt Part I of Schedule.

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—पार्ट १ में कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है। पार्ट २ के बारे में है; पार्ट दो को डेफर्ड करना है।

श्री गोपीलाल यादव—Both the parts of the Schedule will have to be taken afterwards.

श्री अध्यक्ष— think it is advisible to defer both the Parts I and II.

So we have deferred Clauses 1, 4, 9 and the Schedule. These will be taken when the differences are resolved in an informal meeting.

(विराम)

So we come to the next item.

राजस्थान मोटर स्पिरिट विक्रय कर विधेयक, १९५३

श्री भोलानाथ—Sir, I beg to move that the Bill to provide for the levy of a ax on the retail sale of motor spirit in the State of Rajasthan be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष—Motion moved. There is an amendment TO THIS MOTION BY SHRI H.K. VAYS that the Bill be REFERED to a Select Committee.

(श्री भोलानाथ को सम्बोधित करते हुए)

Are you prepared to accept it?

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to press it.

श्री अध्यक्ष—If he (Shri Bholanath) accepts, your purpose is served. There is no use wasting the time of the House, if the motion is accepted by the Treasury Benches.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But before he refuses it I want to say something.

श्री भोलानाथ—नहीं साहब यह में मंजूर नहीं करता हूं।

श्री अध्यक्ष—You move your amendment.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय मंत्रीजी ने हमारे सामने रखा है कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाय इसमें मेंने एक अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय। यह अमेन्डमेन्ट क्यों प्रस्तुत किया इसके दो-तीन कारण हें जो में सदन के सामने पेश करना चाहता हूं।

इस बिल के स्टेटमेन्ट ऑफ आबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स (Statement of Objects and Reasons) की तरफ देखें तो मालूम होगा कि मौजूदा कस्टम ड्युटी लागू है उसको हटाने के इरादे से यह बिल प्रस्तुत किया जा रहा है। पर दूसरी ओर इस बिल की संबंधित क्लॉज है। क्लॉज संख्या ३ की ओर देखें तो उसमें केवल इतना ही लिखा है कि राजस्थान सरकार जब चाहे गजट में नोटिफिकेशन शाया करके "नोट एक्सीडिंग सिक्स आनाज पर गैलन (No exceeding six annas per gallon)" के हिसाब से सेल टैक्स लगा सकती है। अर्थात् इस बिल के किसी अंग में किसी हिस्से में यह साफ नहीं किया गया है कि यह जो नया टैक्स लगाया जा रहा है, अधिकार देने का बिल पेश किया जा रहा है, वह तभी लागू होगा, सरकार को अधिकार तभी उपलब्ध होंगे जब कि इस कस्टम ड्युटी को जो पहले से लगी हुई है उसको बन्द कर दिया जाय। तो इस तरह बिल के जो क्लॉजेज़ हें उनके बीच में और स्टेटमेन्ट ऑफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स के बीच में कान्ट्राडिक्शन है।

तो मेरा यह कहना है कि अगर यह बिल इसी तरह पास कर दिया जाय तो सरकार को कोई भी रोकने वाला नहीं है कि वह यह टैक्स भी लागू कर दे और कस्टम ड्युटी भी लागू रहे। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस कस्टम डयुटी को हटा दिया जाय तभी सरकार को टैक्सेशन का अधिकार होगा।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

दूसरा कारण भी इसी क्लॉज ३ से संबंध रखता है। क्लॉज तीन में एक बहुत ही जनरल प्रकार के अधिकार सरकार ने रखे हैं। इतनी भी पाबन्दी लगाने का नहीं सोचा कि जो सेल्स टैक्स लगाया जाय उस पर फाइनेंस बिल के जरिये सदन में विचार तो हो। ऐसा इस क्लॉज में नहीं रखा है। इसमें तो सरकार ने एक वाइड अधिकार लिया है कि छः आना फी गैलन के अधिकार से ज्यादा नहीं हो तो सरकार नोटिफिकेशन के जरिये सेल टैक्स लगा सकेगी। यह एक अनप्रिसिडेन्टल (unprecedental) चीज है विधान सभा के लिये कि जिसमें फाइनेन्स के जरिये रेट मुकर्रर करने की भी कोई जरूरत नहीं है सरकार को नोटिफिकेशन के जरिये रेट मुकर्रर कर देने का अधिकार दे दिया गया है। इस चीज में भी अमेन्डमेन्ट होना चाहिये। यह दूसरा कारण है जिसकी वजह से यह अमेन्डमेन्ट पेश किया गया है।

जो तीसरी चीज है उसका ताल्लुक है इस बिल में इन्स्पेक्शन ऑफ एकाउन्ट्स और एकाउन्टेन्ट्स (Inspection of accounts and accountants) के हिस्से से है। दूसरी रियासतों में जो बिल हुए हैं उनमें एक चीज के बारे में पूरी सफाई कर दी गई है कि जिससे गलतफहमी की वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हो। हिसाब की सफाई और टैक्स टेक्सेशन के बुनियादी उसूल बिल के अन्दर ही प्रस्तुत कर दिये जाते हैं। वह कायदे इस बिल में प्रस्तुत नहीं हैं। इसका नतीजा यह होगा कि एसेस्मेंट (assessment) और हिसाब रखने के तरीकों की गलतफहमी होने से जो अधिकार इन्सपेक्शन के लिये जायेंगे उनको इतना फ्री हेन्ड (free hand) अवांछनीय अधिकार होंगे कि इस तरह बडा भृष्टाचार होगा। यह तीसरा कारण है जिसकी वजह से यह एमेंडमेंट पेश किया है।

इतनी गंभीर बात हम कर रहे हैं, लाखों रुपयों की आमदनी का यह बिल हम पेश कर रहे हैं। कस्टम ड्यूटी जिसको हमें बन्द करना है उसका भी इससे सम्बन्ध है। इन कारणों की वजह से इस महत्वपूर्ण बिल को अच्छी तरह विचार कर पास करें, रिविजन का अधिकार रखें, नोटिस के अधिकार को कम करें और इस पर ठीक तौर से विचार कर पायें इसलिये यह एमेंडमेंट पेश किया गया है और मैं माननीय मंत्री महोदय से फिर निवेदन करूंगा कि इस एमेंडमेंट को मंजूर करलें।

श्री **भोलानाथ**--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री व्यासजी ने जो एक खास बात उठाई है कि कस्टम भी जारी रहेगा और यह टैक्स भी लागू होगा तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि ज्योंही टैक्स लगेगा इस कस्टम को एबोलिश कर दिया जायगा।

श्री **एच. के. व्यास**--बिल में तो ऐसा नहीं है।

श्री **भोलानाथ**--एबोलिश (abolish) करना गवर्नमेंन्ट का काम है, वह इसे एबोलिश करेगी। मैं समझता हूं कि इस एश्योरेन्स (assurance) के बाद में वे अपना अमेंडमेंट वापिस ले लेंगे।

६ आना मैग्जीमम (maximum) रखा है, ४ आने आज भी लिये जाते हैं। जनता में इससे किसी तरह की गडबड़ी पैदा न हो इसलिये ऐसा रखा गया है। इन्स्पेक्शन के बारे में साफ रखा गया है,

[श्री भोलानाथ]
कोई परेशानी की बात नहीं है । फिर भी आप जो सजेस्ट करेंगे उसको मंजूर किया जायगा । क्लॉज बाई क्लॉज पास करते समय आप इसपर सजेशन पेश कर सकते हैं । तो मैं आशा करता हूं कि आप इसे प्रेस नहीं करेंगे और इसे पास करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—Do you want to press it ?

श्री एच. के. व्यास—Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष–The Question is that the amendment of Shri H. K. Vyas be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment fails.

(विराम)

The Question is that the Rajasthan Sales of Motor Spirit Taxation Bill, 1953, be taken into consideration.

(स्वीकृत)

The motion is carried.

(विराम)

Clause 2 of the Bill.

श्री एच. के. व्यास—On a point of order, Sir, the Hon'ble Member-in-charge of the Bill just now said that the amendments may be brought. I think it is presumed that he would not object if some amendments are brought now.

श्री अध्यक्ष—There are no amendments before me.

श्री एच. के. व्यास—Notice has not been given. But the point is, Sir, that if notice is given, the amendments are not debarred from being given, unless, Sir, you................

श्री अध्यक्ष–I am not going to consider a point which is not before me.

श्री एच. के. व्यास—I seek your permission to move this amendment.

श्री जयनारायण व्यास—Even if he gives it now, we have no objection.

Page No.53

श्री अध्यक्ष--Then I proceed clause by clause and in the meantime you can come up with your amendments.

So I take Clause 2. There is no amendment on Clause 2.

(विराम)

The question is that Clause 2 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 2 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 3. Motion moved.

(विराम)

To Clause 3 there is an amendment which reads thus...............

श्री जयनारायण व्यास--We would note down the amendment.

श्री अध्यक्ष--(श्री एच. के. व्यास को सम्बोधित करते हुए संशोधन पर हस्ताक्षर न होने के कारण)

I take it as from you. I hope you are not a messenger of somebody.

श्री एच. के. व्यास--I have moved them as on my own behalf.

श्री अध्यक्ष--Yes. The amendment is : "Insert in Clause 3, line 1, sub-clause (1), after the words 'as may be' the words 'determined annualy by the Finance Bill' and then delete the word 'notified' in line 3 after the words 'as may be' and then delete the words 'not exceeding 6 annas per gallon'. This is the amendment.

श्री एच. के. व्यास--I take it as moved.

श्री अध्यक्ष--Yes. We can take the speech as made also.

श्री एच. के. व्यास--I will come practically to that.

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मैं दो शब्द कहना चाहता हूं और जो मैंने पहले कह दिये वे नहीं हैं। उनको मैं यहां दोहरा कर सदन का समय नहीं लेना चाहता। कम से कम

[श्री एच. के. व्यास]

इतना तो सरकार को मानना ही चाहिये कि टैक्स लगाने के मामलों में जब सालाना बिल बनता है उसमें प्रपोजल्स आने चाहिये और इसीलिये मैंने यह अमेन्डमेन्ट पेश किया है कि जो टैक्स लगाये जावें उनको सालाना फाइनेन्स बिल के रूप में पेश करें। इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा दलीलें पेश करके सदन का ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह कहूंगा कि टैक्स लगाने वाली चीजों पर पहले से विचार करें और उन सबको फाइनेन्स बिल के रूप में पेश करें। इस प्रकार नोटिफिकेशन के रूप में सरकार जो टैक्स लगाना चाहती है यह तो कुछ ठीक नहीं है। यदि सरकार कानूनी कार्यवाही नहीं करके इस प्रकार नोटिफिकेशन के जरिये से ही यह टैक्स लगाना चाहती है तो यह उसकी मर्जी की बात है। हमें ज्यादा कुछ नहीं कहना है।

श्री **भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)**—अध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने पहले ही अर्ज किया था कि सदन के चारों तरफ से बराबर यह राय जाहिर होती रही है कि कस्टम को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाना चाहिये। जब कस्टम को खत्म किया जायगा तो उसके साथ साथ दूसरा आमदनी का जरिया भी तो निकालना होगा और उस कमी को पूरा करने का जरिया है सेल्स टैक्स। जब कस्टम को इसी साल कुछ कम करना है तो निश्चित रूप से कोई कानून होना चाहिये। यहां पर फाइनेन्स बिल का अमेन्डमेन्ट लाने का मतलब यह है कि इस बिल का जो असली मकसद है वह पूरा का पूरा खत्म हो जाता है क्योंकि यह फाइनेन्स बिल एक साल में आए। नोटिफिकेशन की बात कही कि नोटिफिकेशन से क्यों टैक्स लगाया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि चार आने के बजाय ६ आना तक मैग्जिमम कर दिये हैं। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि हाउस को अधिकार है कि वह जो कोई भी टैक्स लगता हो उसकी आलोचना कर सकता है। यदि नोटिफिकेशन की बात को आप अनुचित समझते हैं तो आप इस सम्बन्ध में कभी भी डिबेट कर सकते हैं और उसकी खामियां बता सकते हैं। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि फाइनेन्स बिल और दूसरे अमेन्डमेन्टस जो रखे हैं दोनों ही नापास किये जाने चाहियें और यदि मूवर वापिस लेना चाहें तो अच्छी बात है।

श्री **एच. के. व्यास**—माननीय अध्यक्ष, मुझे मजबूर होकर कुछ न कुछ जवाब देना पड़ रहा है और वह इसलिये कि माननीय मन्त्रीजी इस बात को दो बार दोहरा चुके हैं कि कस्टम कम करने की इच्छा है और कम करने वाले हैं या बिल्कुल हटाने वाले हैं या इस बिल के बाद में लागू कर देंगे। इस सम्बन्ध में कोई कानून बनने वाला है और यदि आप उस बनने वाले कानून को एग्जिक्युटिव के मातहत रखना चाहते हैं तो दूसरी बात है, लेकिन उसका सही तरीका तो यह है कि कस्टम को एबोलिश करने का फाइनेन्स बिल में जिक्र होता तो ज्यादा अच्छा होता। उससे सदन को यह मालूम होता कि अब एक कानूनी चीज हो चुकी है और नया प्रस्ताव आ रहा है। रही बात यह कि अब फाइनेन्स बिल लाने के लिये समय नहीं है और इसी साल यह काम करना है, इसकी भी जवाबदारी सरकार पर है। सरकार को सोचना चाहिये था अगर देर हो गई है और पहले इस पर नहीं सोचा तो अब नोटिफिकेशन के जरिये यह चार आना से ६ आना का टैक्सेशन लाना मुनासिब नहीं। यह ५० प्रतिशत इन्क्रीज टैक्स में होती है; ऐसा करना चाहिये या नहीं यह सोचना है। कितनी रेवेन्यू होगी, दूसरे टैक्सों में कितनी

[श्री एच. के. व्यास]
कमी करनी है यह सब बातें एक साथ सोचना होगा । फाइनेन्स बिल का मतलब यह है कि टैक्स बढ़ाना है, कम करना है; इन पर विचार करें। नोटिफिकेशन का जो तरीका है वह बिल्कुल गलत है। यह एक सिद्धान्त की बात है और इस सिद्धान्त की बात पर मैं इसको प्रेस करता हूं।

श्री **भोलानाथ**—On a point of information Sir, The point is, is it possible for the Hon'ble Member to exercise again his right of reply?

श्री **अध्यक्ष**—No reply, he is not replying. But he is giving a personal explanation.

श्री **भोलानाथ**—आपने यह कहा कि चार आने से छ आने लगा दिये हैं। हमने चार आने से छ आने तक लगाने की मांग की है।

श्री **एच. के. व्यास**—अधिकार तो लिया है आपने ?

श्री **भोलानाथ**—हां ।

श्री **अध्यक्ष**—You hear and then decide.

श्री **एच. के. व्यास**—Then the purpose will be lost.

श्री **अध्यक्ष**—In the House no purpose is lost.

(विराम)

The question is that the amendment be accepted.

(मत-दान हुआ)

श्री **जसवन्तसिंह**—The Ayes have it.

श्री **अध्यक्ष**—'Noes' have it.

श्री **गोपीलाल यादव**—'Ayes' have it.

श्री **अध्यक्ष**—You want all the Members to be present in the House ?

(विभाजन घण्टी के पश्चात्)

The Question is that the amendment be accepted.

(अस्वीकृत)

Page No.56

[श्री अध्यक्ष]

The amendment is lost.

(विराम)

Now the Question is that clause 3 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 3 is added to the Bill.

(विराम)

There are no amendment from clauses 4 to 12.

(विराम)

So the Question is that clauses 4 to 12 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 4 to 12 stand part of the Bill.

(विराम)

Clause 13. Shri Jawan Singh

श्री जसवन्तसिंह—संशोधन इस प्रकार है:—

"The word 'is' be inserted between the words 'license' and 'granted' in the second line".

माननीय अध्यक्ष, मैंने यह संशोधन इसलिये पेश किया है कि यह होना वाकई बहुत जरूरी है। अगर वाकई गलती की वजह से रह गया है तो मैं माननीय सम्बन्धित मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे वर्ड "is" को शामिल कर लें और इससे जो मतलब सब-क्लॉज का आप निकालना चाहते हैं वह आसानी से निकल जायगा, वरना यह कमी रह जायगी और वर्ड "granted" से मतलब हल नहीं हो सकेगा। हालांकि यह साधारण सी बात है, किन्तु यह जरूरी है और इसीलिये मैंने इसको रखा है।

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—I accept it.

श्री अध्यक्ष—You have accepted it but I want the leave of the House whether the word 'is' should be incorporated between the words 'licence' and 'granted.'

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

The amendment is accepted.

(विराम)

The question is that clause 13, as amended, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 13 is added to the Bill.

(विराम)

Clauses 14 to 17.

(विराम)

Now the question is that clauses 14, 15, 16 and 17 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 14 to 17 are added to the Bill.

(विराम)

Clause 18—Yes, Shri Jawan Singh.

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरा संशोधन क्लॉज १८ के लिये इस प्रकार से है कि सारा क्लॉज, सब-क्लॉज (१) और (२) सहित डिलीट कर दिया जाय। क्लॉज १८ के पढ़ने से यह साफ जाहिर हो जाता है कि सरकार ने अपने हाथ में यह अधिकार रखा है कि जिस मुकद्मे को वे चाहें रजा-मन्दी से तय कर दें और उस मामले को कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं भेजें। पूरा क्लॉज इस प्रकार है:—

"*Power to compound offences.*—(1) The Collector may accept from any person who has committed an offence punishable under this Act or the rules thereunder, by way of composition of such offence, a sum of money not exceeding five hundred rupees or a sum double the amount of the tax payable under section 3 in respect of any sales conducted by such person, whichever is greater.

(2) On the payment of such sum of money to the Collector the accused person shall be discharged, and no further proceedings shall be taken against such person in respect of such offence."

मेरा इस मामले में यह निवेदन करना है कि जब आप कोई कानून बनाते हैं तो यह देखना जरूरी हो जाता है कि उस कानून में किसी चीज की अवहेलना तो नहीं की जा रही है। यह बात इस कानून के लिये भी है। आप इस बात की क्यों गुन्जाइश रखते हैं? क्या आप आपके किसी विशेष सम्बन्ध

Page No.58

[श्री जवानसिंह]
रखने वाले आदमी के लिये, या कोई मित्रता रखता है या आप किसी वजह से किसी ऐसे आदमी जिसके प्रति आप सहानुभुति रखते हैं उसके लिये गुन्जाइश रखते हैं ? जनता के सामने कानून बनाते वक्त यह डर क्यों आप पैदा करवाते हैं कि किसी खास व्यक्ति को सरकार चाहे तो छोड़ सकती है। मैं मानता हूं कि आपने पांच सौ रुपये जुर्माने की रकम रखी है लेकिन इसमें यह गुन्जाइश है कि आप चाहें तो उस आदमी को छोड़ सकते हैं। आप उसको कानून के अनुसार सजा नहीं दिलवाना चाहते हैं। वह जो जुर्म करता है उससे उसको बचाना चाहते हैं। मैं साथ ही यह मान कर चलता हूं कि जिस व्यक्ति ने जुर्म किया है उसके लिये दो-सौ, तीन सौ रुपयों की रकम तय कर दी गई है। क्या वजह है कि आप उसके लिये छूट रखना चाहते हैं ? आपने कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा जिससे यह माना जा सके कि आप फलॉं आदमी को छोड़ देंगे और उसको कम्पाउन्ड कर देंगे। अगर आप ऐसी चीज नहीं तय करते हैं तो हमें डर लगता है और हमारा डर बना रहेगा कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिये आप यह छूट रख सकते हैं और किसी व्यक्ति को आप छोड सकते हैं तथा किसी व्यक्ति को कम्पाउन्ड करने के लिये रुपया, दो रुपया वसूल कर सकते हैं। यह चीज न तो कानून में रहना वाजिव है और न वाजिब ही इसका रहना समझा जा सकता है। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के अधिकार आप न रखें।

श्री अध्यक्ष—Yes, reply please.

श्री **भोलानाथ**—यह क्लॉज तो ऐसा है जिसकी आपको तारीफ करना था। इस क्लॉज से तो उल्टी मदद मिली है। खामोख्वाह की झंझट से आदमी बचेगा। किसी भी कारण से रसीद नहीं लगा सकने से या और किसी कारण से अगर कोई टैक्स जमा नहीं कराते हैं, पर टैक्स से बचने की उसकी नियत नहीं है और वह किसी न किसी तरह जमा कराना चाहता है तो इस क्लॉज में यह प्रोविजन है कि वह कलेक्टर या किसी भी अधिकारी के पास जो इससे सम्बन्धित हो, चला जावे और टैक्स देकर राजीनामे से आपस में मामला सुलट ले। किसी से गलती हो जावे और वह मन्जूर करले फिर उसे अदालत में भेजना और सजा दिलाना कोई मतलब नहीं रखता। टैक्स न दे तो बात दूसरी है, पर गलती स्वीकार कर ले और टैक्स देने को तैयार है तो उसके लिये यह प्रोविजन है। इसके रहते हुए भी अगर कोई अदालत में जाना ही पसन्द करे तो वह तो रास्ता उसके लिये खुला ही है और जुर्म करने पर भी ५००) रुपये की मयाद रखी गई है। ऐसी हालत में आवश्यकता नहीं मालूम होती है कि जबरदस्ती से उसे अदालत में ले ही जावें। सरकार को भी इसमें फिर अदालत में जाना पड़ेगा और दोनों को हैरानी होगी।

आज भी आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की ओर से यह विज्ञप्ति निकाली गई है और निकाली जाती रहती है कि अगर किसी कारणवश किसी ने टैक्स जमा नहीं कराया है और अब वह अपनी गलती महसूस कर रहा है तो वह टैक्स जमा करा दे, सरकार उसको माफ कर देगी और कोई एक्शन नहीं लेगी। इस तरह से माफ करने का अधिकार गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने भी रखा है। तो इस तरह से, जिसने, बिल खोगया है और कोई कारण से वह टैक्स नहीं दे सका है पर अब देना चाहता है तो इस बिल द्वारा यह प्रोविजन रखा गया है कि उसे माफ कर दिया जावे। यह अधिकार देने से तो, इस तरह, जनता को ही आसानी मिलने वाली है। अगर कम्पाउन्ड करने

Page No.59

[श्री भोलानाथ]

की इच्छा नहीं है तो कम्पाउन्ड करने के लिये किसी को मजबूर नहीं किया जाने वाला है। उसको अगर अदालत में ही जाना है तो इस बिल द्वारा मना नहीं किया गया है। अदालत में जाने वाला अदालत में जावेगा, कम्पाउन्ड न करे तो उसकी मरजी है। इस हालत में तो सरकार को भी अदालत में जाना पड़ेगा।

मेरा यह मानना है कि इस क्लॉज से तो सहूलियत ही ज्यादा होगी। इसलिये महरबानी करके आप अपना अमेन्डमेन्ट वापिस ले लें तो अच्छा है।

श्री **जसवन्तसिंह**—मुझे बहुत ही अफसोस है कि ऐसा जवाब दिया गया है, जिसमें कानून से अनभिज्ञता मालूम पड़ती है। कानून से साफ तौर से मालूम पड़ता है कि इसमें गलती की है या कानून भंग किया है तो जो कानून समझता है वह यही मानता है कि किसी ने कोई अगर गलती की है तो उसे सजा मिलनी चाहिये। कानून में कोई एक्सेप्शन (exception) नहीं रहना चाहिये।

गलती की है और माफ कर दिया जावे तो कानून में ५६२ Cr.P.C. की दफा मौजूद है जिसकी तहत में माफ किया जा सकता है। पर यह नहीं हो सकता कि बिल में ऐसा मैन्शन (mention) ही कर दिया जावे कि इसके लिये सजा न दी जावे।

किसी कस्टम एक्ट में या किसी कानून में गलत चीज कायम रखी गई है तो यह ठीक नहीं कि आगे के लिये भी वही गलत चीज़ कायम रहे।

इसलिये में फिर गंभीरतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को आप अवश्य मन्जूर कर लें।

श्री **अध्यक्ष**—Yes. Now I put the amendment to vote.

(विराम)

The question is that the amendment to clause 18 be accepted.

(मत-दान के पश्चात्)

श्री **जसवन्तसिंह**—Ayes have it, Sir.

श्री **अध्यक्ष**—Let there be a decision from me.

(पुनः मतदान के पश्चात्)

"ना" पक्ष जीता। The amendment is lost.

(विराम)

The question is that clause 18 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

Clause 18 is added to the Bill.

(विराम)

Clauses 19 to 22

(विराम)

Now question is that Clauses 19, 20, 21 and 22 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 19 to 22 are added to the Bill.

(विराम)

Now Clause 23. Shri Jawan Singh has amendments to 23 (2) (g) and 22 (4). He wants (2) (g) and (4) to be deleted.

(विराम)

I think we can take the amendments as moved. Yes, Shri Jawan Singh.

श्री जवानसिंह—क्लॉज २३ में सब-क्लॉज (२) के पार्ट 'जी' में मेरा संशोधन यह है कि यह सब-क्लॉज डिलीट कर दिया जावे।

मैंने इस संशोधन की आवश्यकता इसलिए समझी है कि पूरा क्लॉज २३ पढ़ने से यह अच्छी तरह से साफ हो जाता है कि सरकार कुछ जरूरी, आवश्यक बातों के विषय में इस कानून के तहत कुछ रूल्स बनाना चाहती है और जहां तक रूल्स बनाने का उसका अधिकार है मैं इसे मन्जूर करता हूं। परन्तु यह भी जो अमेन्डमेन्ट मैंने रक्खा है उससे मेरा आशय इतना ही है कि इसमें ridiculous clauses जो हैं वे न रहें। क्लॉज २३ की शुरू की लाइन यह है—

"The State Government may make rules consistent with this Act to carry out all or any of its purposes".

इसका मतलब है कि इस कानून की तहत में इसकी मंशाओं को पूरा करने के लिए तमाम या कुछ क्लॉजेज़ रूल्स में बनाये जा सकते हैं। तो इससे यह बात तो कम से कम स्वयं सिद्ध है कि आप इस कानून की सब धाराओं के तहत कोई भी रूल्स फ्रेम कर सकते हैं। अगर ऐसी धारा मौजूद है और इससे आपका काम निकलता है तो इसके साथ में दूसरी धारा;

"(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing, the State Government may make rules for the following matters:—

(g) Any other matter which is expressly required or allowed by this Act to be prescribed or for which provision is necessary to be made to carry out the purposes of this Act.

[श्री जवानसिंह]
को क्यों रखना चाहते हैं और इस चीज को मंजूर करते हुए दूसरी धारा में यह साफ है कि आपने तमाम धाराओं की तहत रूल्स बनाने का अधिकार अपने हाथ में रक्खे हैं तो फिर इस 'जी' क्लॉज को रखने से कोई मतलब नहीं रहता है ।

इनको मंत्री महोदय अगर खुद पढ़ेंगे तो मालूम होगा । आपको खुद को पढ़कर हंसी आवेगी कि पता नहीं किस तरह से यह क्लॉज रह गया है ।

आपने इस क्लॉज़ के मातहत सब धाराओं में नियम बनाने का अपना अधिकार कायम रक्खा है तो फिर क्या वजह है कि आप इस क्लॉज को सदन के सामने रखकर यह कहते हैं कि अगर कोई बात और रह गई हो तो उसके लिए भी नियम बनाने का अधिकार सरकार के पास रहे। कानून आपक सामने मौजूद है, आप इसे अच्छी तरह देख लें और सुधार लें; किसी बात के रह जाने का सवाल ही नहीं उठता। कोई चीज रह जावे तो कोई रूल बनाने का अधिकार दे दिया जावे; यह कोई अच्छी बात नहीं है; उसूलन यह गलत चीज होगी ।

इसलिए निवेदन करता हूं कि आप मेरा यह संशोधन स्वीकार कर ल ।

(**श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति ने** १०-५५ पर अध्यक्षीय आसन ग्रहण किया) .

श्री **भोलानाथ (निर्माण मंत्री)**—माननीय सभापति, यह ऐसा बड़ा भारी प्रश्न नहीं था जिस पर माननीय सदस्य को इतनी बातें कहने की आवश्यकता पड़ी । यह इसलिये रखा गया ह कि जब कभी आवश्यकता पड़े, उन सब्जे ट्स (subjects) पर रूल्स बनाने की, जिनका कि जिक्र यहां नहीं किया गया है, तो उसके लिए रूल्स बना लिये जायं । जब कानून का एप्लीकेशन (application) होता है तब ही क्या क्या दिक्कते आती हैं, मालूम पड़ता है । ऐसे क्लॉज के रहने से यदि कोई दिक्कतें कानून के लागू करने के बाद आये तो उसमें सहूलियत पैदा करने के लिए ही यह रूल्स रखे गये हैं । गवर्नमेन्ट अपनी तरफ से पहले से ही सफाई कर दे ताकि परेशानियां नहीं बढ़ें । ऐसी हालत में मैं माननीय सद य से निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापिस लेलें ।

श्री **जवानसिंह**—माननीय सभापतिजी, फिर दुबारा अर्ज तो मैं नहीं करना चाहता लेकिन इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि जितना अंग्रेजी भाषा का मुझे ज्ञान है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि क्लॉज (१) और (३) में कोई अन्तर नहीं है । अंग्रेजी के न समझने के कारण जो आपत्ति हो रही है उसके लिए बधाई देता हूं उनको जिन्होंने यह कानून बनाया है । इन शब्दों के साथ में संशोधन को वापिस लेने के लिए सदन स इजाजत चाहता हूँ ।

श्री सभापति—श्री जवानसिंह अपना संशोधन वापिस लेना चाहते हैं । क्या हाउस की मरजी है कि उनको अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय ।

(स्वीकृति प्रदान हुई)

Page No.62

श्री जवानसिंह—सदन की आज्ञा से मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री हिम्मतसिंह (सभापति)—(श्री जवानसिंह की ओर संकेत करते हुए) सब क्लॉज (फोर) (sub-clauses 4) में भी तो आपका संशोधन है।

श्री जवानसिंह—माननीय सभापति, इस क्लॉज के सब-क्लॉज (४) में मेरा यह संशोधन है कि इस क्लॉज के सब-क्लॉज (चार) को डिलीट कर दिया जाय। वह क्लॉज इस प्रकार है :

(4) "In making any rule the State Government may direct that a breach thereof shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees and where the breach is continuing one, with further fine which may extend to one hundred rupees for every day after the first day during which the breach has been persisted in."

इसके पेश्तर कि मैं इस विषय में कुछ अर्ज करूं इस क्लॉज में इस कानून की तहत अगर कोई जुर्म करता है तो इसमें यह प्रोविजन रखा गया है कि उसको सजा दी जाय। जब ऐसी चीज के लिये इसमें खास तौर से प्रोविजन है तो फिर आप इसके लिये इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि भविष्य में आपको ऐसे कोई रूल्स बनाने पड़ेंगे जिसकी तहत में आपको १००) रुपये तक का जुरमाना करने की जरूरत हो जाय। जहां तक कानून बनाने का सवाल है यह एक गंभीर चीज है। अगर इसको गंभीरता से देखा जाय और सोचा जाय तो आपको मालूम होगा कि कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसमें पेनेल्टीज (penalties) का सवाल होता है, उस कानून के अन्दर क्लॉजेज रखें जाते हैं। कोई भी कानून गवर्नमेन्ट द्वारा बनाया जाता है तो उसमें सरकार को अख्त्यार रहता है कि वे सजा दे सकते हैं। पेनेल्टी दे सकते हैं तो फिर इस प्रकार की पेनेल्टी का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह एक कानूनी प्रिन्सिपल है। अगर आप इस प्रिन्सिपल को नहीं मानते हैं तो यह हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन यह एक सीधी सादी चीज है जिसे आपको मानना चाहिये। आप रूल्स की तहत में वैसे ही प्रिन्सिपल के खिलाफ कभी भी पेनेल्टी रखने की गुंजाइश नहीं दे सकते। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस अमेन्डमेन्ट को अवश्य मन्जूर करें और अगर कानून के लागू होने पर यदि कभी भी जरूरत पैदा हो जायगी कि फिर से जुल्म शुरू हो गये हैं तो कोई आपके हाथ नहीं बांध सकता कि आप कानून पेनेल्टी देने के लिए नहीं ला सकते। आपके बाद दूसरी सरकार आयगी और यदि उसको भी जरूरत महसूस होने लग जाय तो इसमें जरूर संशोधन कर सकती है, पेनेल्टी कायम कर सकती है लेकिन रूल्स मेकिंग पॉवर (Rules making power) में यह अधिकार नहीं दिया जा सकता। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि मेरे इस संशोधन को स्वीकार किया जाय।

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा और खास तौर से यह बात जाहिर की है कि इस क्लॉज के रखने से पेनेल्टी के अधिकार नहीं गये हैं तो ऐसी बात नहीं है किन्तु सरकार ने यह रख कर अपने अधिकारों को एक सीमित रूप से रखा है। अगर वह कोई रूल बनायेगी तो भी वह मर्यादा के अन्दर ही बनायेगी। उल्टा सरकार ने अपनी मर्यादायें पेश की हैं, न कि विशेष अधिकार पाने के लिए यह क्लॉज रखा गया है। अगर कोई गड़बड़ पैदा होती है,

[श्री भोलनाथ]
कोन्सिस्टेन्टली (consistently) दिक्कतें आरही हैं, कानून में तो हमारे हाथ ऐसा अधिकार होना चाहिये। टैक्स एक ऐसा मामला है इसमें किसी को शक नहीं कि इसमें कोई गड़बड़ होगी या नहीं क्योंकि बिना टैक्स वसूल किये कोई भी सरकार चल नहीं सकती। टैक्स छिपाने की कोशिश करेगा या कानून की ब्रीच (breach) करेगा तो मामूली ढांचा भी यदि सरकार का होगा वह खराब हो जायगा। इस प्रकार की कानून में कमी न रह जाय, इसलिए इस धारा के न रखने से कई दिक्कतें पैदा होंगी। सरकार कोई भी कार्यवाही करेगी तो भी वह कानून के अनुसार, कानून के अन्दर कार्यवाही करेगी। सरकार ने कानून की मर्यादा को कायम रखने के लिए इसकी सेंक्शन (sanction) आपसे मांगी है। आशा है इन शब्दों के बाद आप अपना संशोधन वापिस लेंगे और इस क्लॉज को स्वीकार करेंगे।

श्री **जवान सिंह**—माननीय सभापति, मैं फिर से अर्ज कर दूं कि जहां तक इस कानून की तहत में कोई भी जुर्म होगा या जुर्म करने का सवाल है उसके लिये पहले ही से सजा मुकर्रर है और कानून की अवहेलना करने पर पेनेल्टी का भी प्रोविजन रख दिया गया है। फिर इस धारा की तहत आप रूल्स बनायेंगे, जो आज मौजूद नहीं हैं। जब कि इस कानून की तहत रूल्स की अवहेलना करने वाले के लिये पेनेल्टी का प्रोविजन रखा है तो क्या जरूरत है कि आप भविष्य के लिये पेनेल्टी रखने के लिये यह रूल्स चाहते हैं जिनका खयाल आपको अभी कुछ भी पता नहीं है। भविष्य में यदि ऐसा कोई ब्रीच होगा, जरूरत पेश आयगी तो रूल्स बना लिये जायेंगे। इसके लिये पहले से ही ५००) रुपये रखना चाहिये या नहीं इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कानून में दिये गये रूल्स की ब्रीच के लिये, जब कि पहले से ही इस एक्ट में धारा मौजूद है तो फिर आप इस चीज को दोहराना क्यों चाहते हैं। रूल्स की ब्रीच करने, पर सजा देने के लिये या जुर्माना देने के लिये प्रोविजन नहीं होता तो यह बात ठीक होती लेकिन जब इस रूल्स को ब्रीच करने के लिये ५००) रुपये की पेनेल्टी मौजूद है तो आप भविष्य का खयाल क्यों करते हैं, जिन चीजों ने आज तक जन्म नहीं लिया है?

श्री **सभापति (श्री हिम्मतसिंह)**—(श्री जवानसिंह की ओर संकेत करते हुए)—

You want to press your amendment.

श्री **जवानसिंह**—Yes, Sir

तो मैं संशोधन वोट के लिये रखता हूं। तो प्रश्न यह है कि क्लॉज २३ के सब सेक्शन चार पर श्री जवानसिंह का जो संशोधन है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

[श्री सभापति]

अब प्रश्न यह है कि खण्ड २३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड २३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया, स्वीकार हुआ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि विधेयक का खण्ड १, प्रिएम्बल और शोर्ट टाइटिल अंग रूप से स्वीकार हो।

(सर्व सम्मति से स्वीकृत)

खण्ड १, प्रिएम्बल तथा शोर्ट टाईटल अंग रूप से विधेयक में जोड़े गय।

श्री **भोलानाथ (पृथक राजस्व व यातायात मंत्री)**—सभापति महोदय, मैं दरख्वास्त करता हूं कि यह बिल, संशोधनानुसार, पास कर दिया जाय।

श्री **सभापति (श्री हिम्मतसिंह)**—The Question is that the Bill, as amended, be passed.

श्री **भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)**—मुझे बोलना है।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—On a point of Order, Sir. ऐसा अपने रूल्स आफ प्रोसीजर में कायदा कि है जो बिल जिस दिन कन्सीडरेशन में लिया जाय और उसमें एमेन्डमेंट हो जाय तो उसी दिन पास करने के लिये अगर माननीय मंत्रीजी कोशिश करें तो any member can object to it. Hence I want to exercise my right and as such I object to this motion on the ground that this is not proper according to our Rules of Procedure and Conduct of Business.

श्री **भोलानाथ (यातयात मंत्री)**—आपको इसी में खुशी है कि यह बिल कल पास कर दिया जाय। ऐसा ही है तो कल ही किया जाय।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—Rule 146.

श्री **भोलानाथ**—रूलिंग हो चुकी है।

श्री **चेयरमेन (श्री हिम्मतसिंह)**—(श्री एच. के. व्यास की ओर संकेत करके)

You want to say anything on this matter ? What is your objection ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—I think the matter is quite important.

I am referring part (2) of Rule 146 which says, " If any amendment of the bill is made any member may object to any motion being made on the same day that the bill be passed, and such objection shall prevail unless the Speaker allows the motion to be made.

My objection is that unless the chair allows this motion being made my objection should prevail, if other conditions are satisfied.

(११ बज कर ११ मिनट पर श्री अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष—What is the motion ?

(पूछताछ के पश्चात्)

I had already given a ruling on the point. Unless there are such amendments in the Bill for which it is necessary for the Hon'ble Members that the printed amendments should be circulated and come before the House, the passing of the Bill cannot be postponed. There is a ruling and it was given after the House had discussed it fully and threadbare. Now it is not proper for the Hon'ble Member to discuss the matter again.

श्री एच. के. व्यास—The point is that the motion for the consideration of the Bill is made today. Subsequently amendment has been made in the Bill and now a motion has been moved that the Bill be passed. in a previous case the amendment had been made two days back from the day on which the motion was made. This is not the case today and unless the Speaker, subject to his powers, allows my objection, it should prevail. This is my submission.

श्री अध्यक्ष—It is not a point for making a speech but it is more for meditation and thinking. There are no amendments and even if amendments are made, the Bill may be passed the very day.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The member-in-charge had accepted my submission.

श्री अध्यक्ष—The amendments are of very trivial nature. They do not require any postponement for the passing of the Bill to any other day.

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—I beg to move that the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष—The question is that the Bill be passed.

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

The Rajasthan Sales of Motor Spirit Taxation Bill, 1953, is passed.

We now come to the Rajasthan Panchayat Bill.

राजस्थान पंचायत विधेयक, १९५२

श्री अध्यक्ष--We had deferred clauses 28, 38, 65, 81 and Schedule.

We now take clause 28.

खण्ड २८

श्री अध्यक्ष--Is there any agreed solution to clause 28 ?

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ़)--माननीय अध्यक्ष, जिस वक्त यह क्लाज सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ था उस वक्त यह तय हुआ था कि इन क्लाजेज के ऊपर एमीकेबल सेटलमेंट हो जायगा लेकिन अभी तक माननीय मंत्री महोदय ने इन पर कोई विचार नहीं किया है। मैं समझता हूं कि शायद उनको अवकाश नहीं मिला या वे मेम्बर्स जिन्होंने एमेन्डमेंट प्रस्तुत किये हैं वे यहां मौजूद नहीं मिले। इसलिये इस पर मैं निवेदन करूंगा कि हाउस में डिस्कस करने के पूर्व यदि माननीय मन्त्री जी अलग से इस बात पर विचार कर लें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। जिन माननीय सदस्यों की बातों पर विचार कर लिया है वह बातें भी सदन के समक्ष आनी चाहियें, ताकि ज्यादा वाद-विवाद न हो।

श्री अध्यक्ष--Is it only on clause 28 or all the clauses ?

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ़)--सभी क्लाजेज के लिये निवेदन किया है।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)--I have not followed.

श्री अध्यक्ष--क्लाज २८ के बारे में आपको कुछ कहना है, इस पर किस तरह से प्रोसीड किया जाय।

श्री रामकरण जोशी--२८ क्लाज में श्री भैरूंसिंह के अमेन्डमेन्ट के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि इस क्लॉज के प्रोविजो के पार्टस् ३, ४ और ५ आवश्यक हैं और वे डिलिट नहीं किये जा सकते, पार्ट्स ६ तथा ७ डिलीट किये जा सकते हैं।

आपका अमेन्डमेन्ट यह बताता है कि इस क्लॉज के प्रोविजो के पार्ट ३, ४, ५, ६, ७ डिलीट करने चाहियें। इस पर मेरा निवेदन यह है कि ३, ४, तथा ५ डिलिट नहीं किये जायं, ६ और ७ डिलीट कर दिये जायं। इसलिये मैं समझता हूं कि आप मेरी बात मानलें।

आपके इन तीनों पार्ट्स को मंजूर करता हूं।

श्री भैरूंसिह (दांता रामगढ़)—एक दफ़ा और कह दें, आपने कौन कौन से मंजूर किये हैं ?

श्री अध्यक्ष—You will take the trouble of coming over to me. I will explain it.

(श्री भैरूंसिह माननीय अध्यक्ष के पास गये)

(विराम)

So the Question is that the parts 3, 4 and 5 of the proviso to the clause remain as they are and the parts 6 and 7 of the proviso to clause are deleted.

(अनुमति प्रदान हुई)

The parts 6 and 7 of the proviso to the clause are deleted.

(विराम)

Now the question is that clause 28, as amended, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 28, as amended, is added to the Bill.

(विराम)

Then we come to Clause 38, "Enquiry in cases of accidental Deaths."

श्री रामकरण जोशी—The Clause may be deleted.

श्री अध्यक्ष—So you accepted the amendment of Shri Bhaironsingh. So the question is that clause 38 be deleted.

(स्वीकृत)

Clause 38 is deleted.

(विराम)

We then come to clause 65:

श्री सज्जनसिंह—गये सेशन में कांट्रोवर्शियल क्लाजज थीं। उनके मुतल्लिक बिल के प्रस्तावक मंत्री महोदय से तय हुआ था कि आपस में बैठ कर तय किया जावे। आज सदन की बैठक शुरू हुई है और बात नहीं कर सके हैं। मैं अर्ज करूंगा कि इस अन्डरस्टेन्डिग (understandi g) के लिये विचार का टाईम दे दें तो सदन का समय बच जायगा।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—मेरा खयाल है जो बात तय हुई थी वह यह थी कि कानूनी स्पष्टीकरण किया जाय। अब इन्होंने उन संशोधनों को स्वीकार कर लिया है ऐसी सूरत में इस बात को स्वीकार करने का कोई अवसर नहीं है।

श्री अध्यक्ष—I think the Hon'ble Member's version is that he has not been taken into confidence while these clauses were considered. Even if these were to be deleted he ought to have been taken into confidence.

श्री सज्जनसिंह—मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि मुझे कान्फीडेन्स में नहीं लिया गया। पर सेक्शन्स की कान्ट्रोवर्सीज (Controversies) के मुताल्लिक यह तय कर लिया गया था कि आपस में विचार करके किसी निर्णय पर पहुंच जायंगे। मुझे कॉन्फीडेन्स में लेने का कोई सवाल नहीं है।

श्री रामकरण जोशी—मुझे इस बारे में यह निवेदन करना है कि जो कान्ट्रोवर्सीज पाइन्ट (Controversies points) थे उन पर बहस हो चुकी थी, इसके साथ ही साथ दुवारा मिलने की बात यह थी कि अगर वे अमेंडमेंट मंजूर नहीं किये जायं तो कन्सल्ट करना चाहिये। पर मैं तो उन अमेंडमेंट्स को मंजूर कर रहा हूं। ऐसी हालत में कन्सल्टेशन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। वह कॉन्ट्रोवर्सीज पैदा ही नहीं होती जिनके लिये हम आपस में बातें करते।

अब क्लॉज ६५ के बारे में कोई बहस सदन में नहीं हुई है और इसके बारे में सदन के विचार जानना जरूरी है। इसके लिये इस पर सदन में बहस होनी चाहिये।

श्री भैरूंसिंह—आप यह बतादें कि जितने अमेंडमेंट पेश किये गये हैं उनमें से कौनसे मंजूर हैं ताकि जो मंजूर नहीं हैं उन्हीं पर बोला जाय। इससे सदन का समय बच जायगा।

श्री रामकरण जोशी—वे अमेंडमेंट सदन में प्रस्तुत नहीं हुए थे।

श्री एच. के. व्यास—यहां बीच में इन्फॉर्मल कन्सीडरेशन (informal consideration) १६ मेम्बरों का बिल पर हुआ था, वह मंजूर है कि नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—यह बिल सारा का सारा पास हो चुका है सिर्फ दो सेक्शन्स बाकी हैं जिन पर विचार नहीं हुआ है। वे हाउस में लिये जाने चाहियें और उन पर बहस होनी चाहिये।

श्री एच. के. व्यास—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the amendment/No. 70. I take it as moved and so I say.

यह जो धारा, जिस पर अभी बहस चल रही है एक दृष्टि से सारे कानून की महत्वपूर्ण धारा है। क्योंकि इसका ताल्लुक पंचायतों की आमदनी से है, कौन से टैक्स लगाने के अधिकार होने चाहिये और किस हद तक टैक्स लगा सकते हैं, राज्य सरकार के क्या क्या अधिकार हैं; ये सारी बातें इस क्लाज में ली गई हैं। मैंने जो अमेंडमेन्ट प्रस्तुत किया है वह इस प्रकार है:—

(i) "In sub-clause (1) fourth line retain the wo ds decided to be deleted by the select Committee."
(ii) "Delete part (a) of sub-clause (i)"
(iii) "In sub-clause (i) part (d) delete the words callings and professions,"
(iv) 'delete part (f) of this sub-clause."
(v) Delete part (g) of this sub-clause.

[श्री एच.के. व्यास]

पहला अमेन्डमेन्ट सब क्लॉज (१) में है। "one or more" शब्द जो पहले ड्राफ्ट में थे और सिलेक्ट कमेटी ने निकाल दिये हैं इस पर मेरा यह एमेन्डमेन्ट है कि इन शब्दों को निकाल देना गलत होगा। इस क्लॉज के मातहत पंचायतों को टैक्स लगाने का अधिकार दिया जाता है और मेरा ख्याल यह है कि पंचायतों को यह भी अधिकार होना चाहिये कि अगर वे चाहें तो एक टैक्स, चाहें तो दो टैक्स और चाहें तो सभी टैक्स लगा सकते हैं। अस्तु ऐसा कोई बन्धन उन पर नहीं होना चाहिये कि जो टैक्सों की लिस्ट है उसमें से एक पर टैक्स लगावें। उनको दूसरे मदों पर टैक्स मजबूर होकर लगाना पड़ेगा चाहे वे उन पर टैक्स लगाना नहीं चाहते हों। लेकिन इससे तो उनको लगाना ही होगा। इस दृष्टिकोण से मेरा यह एमेन्डमेन्ट है कि जो शब्द "one or more" डिलीट किये गये हैं वे वैसे के वैसे रहने दिये जाने चाहिये।

दूसरा एमेन्डमेन्ट इसी हिस्से में है जो इस प्रकार है "Delete part (a) of sub-clause (1)" मेरा एमेन्डमेन्ट इस पर क्यों है, इसका कारण भी अगर आप इस पार्ट (ए) को पढ़ेंगे तो साफ हो जावेगा। इसमें यह लिखा है कि जो कोई जमीन में फसल बोने के एवज में किराया देता है, लगान या बिघोडी के रूप में रकम देता है उससे भी पंचायत टैक्स ले। उस किराये या लगान की रकम पर भी उससे टैक्स लेने का पंचायत को अधिकार दिया गया है। ऐसा कहने का मेरा मतलब यह है कि यह टैक्स न सिर्फ टैक्सेशन के सिद्धान्तों के खिलाफ है बल्कि बहुत ही अन्याय पूर्ण होगा, यदि इस प्रकार का टैक्स उस व्यक्ति से लिया जायगा। एक व्यक्ति जिसके पास जमीन नहीं और उसको जो जमीन मिली है वह उसको किराये पर मिली है, उसको उसको लगान देना पड़ता है। ऐसे मनुष्य पर भी जो जमीन का किराया देता है अगर यह टैक्स लगाया जाता है तो न्याय संगत नहीं है। यह टैक्स उससे लिया जाय जो किराया वसूल करते हैं क्योंकि उसके तो आमदनी हो रही है, केवल इस बात से कि वह उस जमीन का स्वामी है। किराये वाले से यह टैक्स लेना न्याय संगत नहीं है और अन्यायपूर्ण है। सरकार जो बराबर किसानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है उनसे मेरा यह कहना है कि जो टैक्स का बोझ वे लगाना चाहते हैं वह काश्तकारों पर ज्यादा न हो। तो मेरा दूसरा एमेन्डमेन्ट यह है कि पार्ट (ए) को डिलीट कर दिया जाना चाहिये। मैं इसलिये भी इस पर जोर देना चाहता हूं कि हालांकि सबक्लॉज (दो) में जो मेरा एमेन्डमेन्ट है वह दूसरा है लेकिन उस पर अभी जरा प्रकाश डालना जरूरी है। सरकार यह जानती है कि पंचायतों में आगे चल कर किसानों के प्रतिनिधि ज्यादा तादाद में आवेंगे और यदि वे किसी चीज पर या किसी मद पर टैक्स नहीं लगाना चाहें तो उनके लिये यह मजबूरी रखी गई है कि यदि वे (ए) (बी), (सी) में से किसी पर भी टैक्स लगाते हैं तो उनको लगाना होगा। यह पार्ट मजबूर करने वाला है, अतः इसको डिलीट करना चाहिये।

दूसरा हिस्सा है वह सब क्लॉज (एफ) से ताल्लुक रखता है; इसको भी डिलीट करने का मेरा संशोधन है। मैं समझता हूं कि इतना तो माननीय मंत्री महोदय को याद होगा कि उन्होंने पहले सब क्लाज (एफ) को डिलीट करने की रजाबन्दी जाहिर की थी और इसका जिक्र भी हो चुका है। फिर केवल इस बिनाय पर कि वहां देहातों में आक्ट्राय जैसा टैक्स लगाना अन्यायपूर्ण होगा इसलिये पार्ट (एफ) को डिलीट करना चाहिये। इस प्रकार सब क्लॉज (१) पर मेरे संशोधन हैं। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि कुछ ऐसी चीजों पर सलाह मशविरा करके मान लें तो अच्छा

[श्री एच. के. व्यास]

हो क्योंकि यह किसानों के हित की बात है, वरना किसानों के हितों की रक्षा का दावा करना आपका बेकार है । इन शब्दों के साथ में अपना एमेन्डमेन्ट पेश करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—So I take as part (h) and (i). They have not been moved as also amendments No. 7..........

श्री हरिकृष्ण व्यास--They will be moved separately because they relate to seperate sub-clauses. There are many amendments and I think the various sub-clauses have to be taken separately because they have been separately numbered in the List.

श्री अध्यक्ष--These are amendments to sub-clause (1) only.

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ़)--माननीय अध्यक्ष, क्लाज ६५ के सब-क्लॉज (१) के पार्ट (ए), (बी), (सी) और (जे) को डिलीट करने के लिये मेरा यह संशोधन इस प्रकार है :

"Delete parts (a), (b), (c) and (j) of Sub-Clause (1) of clause 65."

माननीय अध्यक्ष, अभी आज इस सदन में एग्रीक्लचर इनकम टैक्स बिल हमने पास किया है । यह एग्रीक्लचर इनकम टैक्स भी इन लोगों से लिया जावेगा. वे लोग इस टैक्स से पीडित होंगे । अब जब हम बाहर जाकर देहातों में जगह जगह पब्लिक प्लेटफार्म पर यह कहते हैं कि रिपब्लिक सरकार किसानों को राहत पहुंचाती है और उन पर लगे हुऐ करों के बोझ को कम करती है और उसका ध्येय किसानों को राहत पहुंचाना और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है । लेकिन इस प्रकार की बातें सदन के बाहर ही किया करते हैं । ज्योंही सदन में आते हैं तो हमारे विचार भी बाहर छोड कर आते हैं और यहां पर दूसरी विचार-धारा अपने साथ लाते हैं कि किस प्रकार से किसानों पर टैक्स लगाए जा सकते हैं। आज एक ही दिन में एग्रिक्लचर इनकम टैक्स बिल पास किया गया और अब पंचायतों द्वारा टैक्स लगाने की योजना है । यही सदन के सदस्य जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि राजस्थान के किसानों की हालत बहुत बुरी है, उनकी हालत को जल्दी से जल्दी अच्छी करना चाहिये और सुधारना चाहिये और जब सदन में आते हैं और टैक्स लगाने का सवाल आता है तो कहते हैं कि सरकार का और पंचायतों का काम बिना टैक्स लगाए नहीं चल सकता है । मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो वे यह कहते हैं कि किसानों की हालत खराब है और दूसरी तरफ उन पर वे टैक्स लगाते है और कहते हैं कि टैक्स बगैर काम नहीं चल सकता तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कहां तक उनके कहने पर विश्वास किया जावे। मुझे तो काफी शक है कि पंचायतों में जहां यह टैक्स, एक रुपये पर एक आना लगाया जाएगा, उसे वे लोग दे सकेंगे भी या नहीं ।

एक काश्तकार के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह उसकी जमीन का लगान दे, दुनिया भर के सरकार द्वारा लगाए गए टेक्सेज को दे और फिर पंचायत द्वारा लगाया गया एक आना रुपया दे । तो मैं समझता हूं कि यह काश्तकारों पर काफी बोझा होगा । मैं इन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता ।

[श्री भैरोंसिंह (वि.सं.१ :)]
सरकार एक तरफ एग्रिकलचरल क्लास और एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन देना चाहती है और दूसरी ओर नए नए टेक्सेज लगा कर उनको निरुत्साही करने का जोर लगा रही है। एक काश्तकार पर एक आनी रुपया टेक्स किसी भी प्रकार कम नहीं है। एक आनी टेक्स लगाने का मतलब साफ है कि काश्तकार अपनी उपज भी बढाये और उस बढी हुई उपज पर भी वह एक आना टेक्स दे। इसलिए अगर कहीं किसानों के दिमाग में यह बात बैठ गई कि जितनी वह उपज बढावेंगे उतना ही अधिक उनको टेक्स देना पडेगा तो वे उपज नहीं बढावेंगे और जितनी वे उपज करते हैं उसी को वे सीमित रखेंगे। इससे काफी नुक्सान होने वाला है। सरकार का "अन्न उपजाओ" आन्दोलन भी सफल नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—Come to your amendment.

श्री **भैरूंसिंह (दांता रामगढ)**—मैं आपको इस टेक्स के सम्बन्ध में ही कह रहा था। इससे स्थिति डावांडोल हो जायगी।

दूसरा मेरा वो पार्ट है और वह है लण्ड होल्डर्स (land holders) पर। जिस जगह लेण्ड की बडी आमदनी होती है और अगर उस पर यह टैक्स लगाया जाय तो मेरा इसमें कोई विरोध नहीं होगा लेकिन गरीब लेण्ड होल्डर्स पर, जिनकी जमीन की आमदनी सिर्फ ५०) और १००) रुपया है उनसे इस प्रकार का टेक्स वसूल करने से यह हालत हो जायगी कि जहां हम बेकवर्ड क्लास की उन्नति की बात सोच रहे हैं वहां अच्छी क्लास को बेकवर्ड बनाने की योजना भी हम लोग सोच रहे हैं। इसलिए यह टेक्स उनके लिए किसी प्रकार भी ठीक नहीं होगा।

इस क्लॉज के पीछे सी क्लॉज है। इस क्लॉज में खुद काश्त के लिए यह कहा गया है कि जो टिनेन्सी कानून होगा और जो खुद काश्त का प्रोविजन रखा जावेगा उनकी जो रेन्टल वेल्यू (rental value) होगी उस पर भी टेक्स लिया जावेगा। एक तरफ तो खुदकाश्त का एक्ट नहीं और दूसरी तरफ उसकी जो अहमियत है उसको न सोचते हुए उस खुदकाश्त पर टेक्स लगा कर अव्यवस्था को पनपाना है। जो खुदकाश्त है उस पर यदि दुबारा टेक्स लग जायगा तो मेरी समझ में नहीं आता है कि हम समाज का किस प्रकार जीवन स्तर बढाने में कामयाब हो सकते हैं। सरकार के पास अक्सर शिकायतें आती है कि जो खुद काश्त के मुस्तहक हैं वे हाथ से काश्त नहीं करते हैं वे केवल लगान देते हैं। इधर आपने टेक्स लगा दिया। काश्तकार की हैसियत से काश्त करेगा उस पर भी, खुद काश्त करेगा उस पर भी टेक्स लगेगा। तो इस प्रकार से एक ही व्यक्ति पर तीन प्रकार से टेक्स का बोझा पडेगा। काश्तकार हो जाता है तो लेण्ड टेक्स, लेण्ड होल्डर टेक्स और खुद काश्त करने पर टेक्स देना होगा। अगर केवल यह पंचायत का ही टेक्स होता तो इसको पास कर देना ठीक होता किन्तु इस टेक्स के साथ साथ दूसरे टेक्सेज भी तो हैं। यह टेक्स लगाना उचित नहीं होगा और इससे समाज का ढांचा ही बिगड़ जावेगा अतः इसको डिलीट कर देना ही चाहिए।

क्लॉज "जे" इस प्रकार है—

"Any other tax with the previous sanction of the State Government"

[श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)]
इसके सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि सरकार ने काफी टेक्स इस क्लॉज के द्वारा लगा दिए हैं। फिर भी यह अधिकार लेकर सरकार और क्या टेक्स लगाना चाहती है? अगर कोई टेक्स लगाना बाकी था तो इस बिल के अन्दर और लगा दिया जाना चाहिये था। फिर भी इस प्रकार का इस बिल में अधिकार प्राप्त किया जा रहा है जिससे साफ मालूम होता है कि सरकार और कई इस प्रकार के टेक्स लगाना चाहती है जो छिपे हुए पड़े हैं और सरकार जिस समय चाहेगी उस समय उनको लगा देगी। मैं समझता हूं कि सरकार को इस प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। अतः यह डिलीट कर दिया जाय। मैंने जो सब-क्लॉज (१) के लिए अमेण्डमेन्ट रखा है वह वाजिब है और माननीय मंत्रीजी को यह मान लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—I think other amendments are identical. Still Shri Shambhu Singh may move his amendments:

श्री शंभूसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ६५ में मैंने एक प्रोविजन रखा है। मेरा प्रोविजो सब-क्लाज (१) पर इस प्रकार है:—

"Provided that no such tax shall be "Levied or realised when and where the majority of people in that area are dissatisfied and object to such taxation"

अध्यक्ष महोदय, पंचायत जो टैक्स लगाती है वह जनता के हित के लिए लगाती है और उस आमद से यह दावा करती है कि हम जनता के हित सम्पादन करेंगी। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे टैक्सेशन्स से जनता में काफी असंतोष बढ़ रहा है और जनता जिस चीज में अपना हित नहीं समझती उसको जबरदस्ती हित बताया जाकर उस पर थोपने का प्रयास करना कहां तक वाजिब है यह सोचने की बात है। एग्रेरियन क्लास (agrarian class) में किसान वर्ग है और उस पर इस वक्त भी काफी टैक्स लगे हुए हैं। वे जमीन का रेन्ट अभी भी दे रहे हैं, और इसके अलावा आज ही एग्रिकल्चर इनकम टैक्स थोपने का प्रयास किया गया है और अब फिर पंचायतों के द्वारा उन पर इस प्रकार का वजन डाल कर उन की कमर तोड़ देना कहां तक वाजिब होगा? अतः मैं कहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि यह टेक्स जनता और वहां के लोगों की अधिकांश राय से लगाया जाना चाहिए। अगर वहां की जनता यह चाहती है कि इस प्रकार का टेक्स लगाया जाय तो अच्छा है किन्तु जनता की राय के विपरीत इस प्रकार का टेक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। इस क्लॉज में टैक्स के लिए काफी अधिकार लिए गए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जनता की मांग का उचित आदर किया जाना चाहिए क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं वह जनता की भलाई के वास्ते ही करते हैं। कानून जो हम बनाते हैं वह जनता के फायदे के लिए। यदि जनता का मत ऐसे टैक्सेशन के विरोध में है तो ऐसे टैक्सेशन कदापि नहीं लगाए जाने चाहिए। इस वास्ते अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह प्रोविजो इस क्लाज में लगा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—सब-क्लाज (१) में आपके और जो अमेन्डमेन्ट है वे भी मूव कर दीजिए।

रावत श्री शंभूसिंह—क्या डिफ्रेन्ट सीरियल नम्बर पर दिए गए उनको डिफ्रेन्ट माना जायगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—आपके जितने भी इस क्लाज पर अमेन्डमेन्ट हैं वे आप मूव कर दीजिए ।

श्री शंभूसिं—इसके बाद सीरियल नम्बर १४ सब क्लाज (१) के (अ) में मेरा जो सशोधन है वह इस प्रकार है :—

"In para (a) line 2 for the woods one anna substitute the woods 'half anna'"

रेन्ट पेयर्स पर एक आना फी रुपया लगाने का जो अधिकार लिया गया है वह वाजिब नहीं है और मुनासिब ही समझा जाय तो आध आना फी रुपया कर दिया जाय । अभी माननीय पूर्व वक्ता ने बताया था कि जो आलरेडी पहले से लगान दे रहे हैं उन पर इस प्रकार का टैक्स लगाना कहां तक वाजिब है ? अतः मेरा यही अनुरोध है कि अगर मुनासिब हो तो एक आना फी रुपया के बजाय आध आना फी रुपया कर दिया जाय ।

लेन्ड होल्डर्स पर भी एक आना फी रुपया लगान है । उनकी स्थिति लेन्ड पेयर्स से अच्छी नहीं है । उन पर एक आना फ़ी रुपया अधिक होगा और वे इस वजन को सहन नहीं कर सकेंगे । अधिक अन्न उपजाओ" का उनका उत्साह भंग हो जायगा, कृषि की उन्नति वे नहीं कर सकेंगे । इसके अलावा उप-खण्ड (१) के भाग (सी) में खुदकाश्त पर और हवालों पर एक आना फी रुपया टैक्स लगाया गया है । अधिक उपज होने पर उस पर भी टैक्स बढ़ता ही जायगा । मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि जिसके पास हवाला है उसको टैक्स देना पड़ेगा और खुदकाश्त वालों को भी देना पड़ेगा, इससे काफी बोझा पड़ेगा । इसमें सन्देह नहीं है अतः मेरा निवेदन है कि एक आना फी रुपया के बजाय आधा आना फी रुपया कर दिया जाय । मैं अपने इस अमेन्डमेन्ट को पेश करते हुए अपना आसन ग्रहण करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—श्री हरिदत्त ।

(अनुपस्थित)

श्री तेजमल बापना ।

(अनुपस्थित)

The member-in-charge will reply to sub Clause (1). We are taking the Clauses into consideration and because Clause 65 is very long one, first we will so take clause 65 (1) and its so many parts, that is , (a) (b) (c) etc.

श्री भीमसिंह—मैं ६५ वें क्लाज पर श्री एच. के. व्यास के अमेन्डमेन्ट पर बोलना चाहूंगा । क्लॉज ६५ में श्री एच. के. व्यास ने सीरियल नं. ७० पर जो अमेन्डमेन्ट रखा है वह सब-क्लाज एक पर है और उसमें कहा गया है कि सिलेक्ट कमेटी ने जो वर्ड्स डिलीट करने के लिए रखे हैं वे रहने चाहियें । वे वर्ड्स हैं "one or more of" । उनका अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है :

[श्री भीमसिंह]

"In such Clause (1), forth line retain the words decided to be deleted by the select Committee"

इसके लिए मुझे आपत्ति है ।

श्री **अध्यक्ष**—You ask for the amendment.

श्री **भीमसिंह**—मैं आपके (श्री एच. के. व्यास की ओर संकेत करते हुए) अमेन्डमेन्ट का विरोध करना चाहता हूं । क्लॉज ६५ (१) इस प्रकार है:—

"Subject to the prescribed rules and any orders made by the State Government in this behalf, a panchayat may with the previous sanction of the State Government impose one or more of the following taxes..........."

सिलेक्ट कमेटी ने "वन ओर मोर" को डिलीट कर दिया था ।

जिस एरिया के अन्दर टैक्सेज लगाये जावें, जिन लोगों पर और जिन व्यवसाइयों पर लगाये जावें वे सब टैक्सेज सब पर एकसार अन्स कें, कोई आप्शन न रहे इस दृष्टि से संशोधन किया गया था । वरना अगर ये शब्द रहते हैं तो नतीजा यह होता है कि जिस गांव या पंचायत सर्किल में जिस किसी एक व्यवसायी का या एक पार्टी के आदमियों का बहुमत है वे पांच दस, वीस या चालीस आदमी जो इस किस्म के होंगे वे इन टैक्सों से बच जावेंगे और जिनकी कोई आवाज नहीं होगी उन पर बाकी के टैक्सेज का बोझा पड जावेगा । इस तरह टैक्सेज में डिस्क्रिमिनेशन आवेगा । इसको समाप्त करने की गरज से रक्खा गया था ताकि सब पर युनीफाइड टैक्सेशन हो और किसी को शिकायत का या कुछ कहने-सुनने का मौका न मिले । इसलिए मेरा निवेदन है कि इन शब्दों को काफी विचार के बाद डिलीट किया गया था सिलेक्ट कमेटी में । इसलिए जो यह अमेन्डमेन्ट है हुबहू रखना उचित नहीं है और ऐसी हालत में वह अमेन्डमेन्ट भी मंजूर नहीं होना चाहिये, जो इस क्लॉज ६५ में दूसरा अमेन्डमेन्ट है ।

क्लाज ६५ के सब क्लाज (१) में पार्ट ए, वी, सी, ये तीन टैक्सेज हैं ये तीनों ही टैक्सेज करीब करीब एक ही किस्म की युनीफार्मिटी रक्खे हुए हैं और ये टैक्सेज जमीन को काश्त करने वाले भोमिया या काश्तकार या खुदकाश्त वालों सब पर मिलता-जुलता आवेगा । और इसमें नीचे जाकर सब क्लॉजों में यह भी दिया गया था कि यह तीनों एक साथ रहेंगे । यह नहीं होगा कि (ए) लग जावे और (बी) छोड दिया जावे या (सी) नहीं लगे ।

अभी जैसा कि उन्होंने डिलीट करने की बात रक्खी है कि ए को तो डिलीट कर दिया और बी सी बदस्तूर कायम रह जाते हैं ऐसी हालत में फिर डिस्क्रिमिनेशन का प्रश्न सामने आ जाता है । तो इसलिये मेरा निवेदन है कि यह भेदभाव न रक्खा जावे; जिस तरह पहले बिल में था और जिस तरह सिलेक्ट कमेटी ने सबको एक रक्खा है । सबको साथ साथ रक्खा गया है । इसलिये मेरा

[श्री भीमसिंह]
निवेदन है कि सिलेक्ट कमेटी ने जैसा पेश किया है उसे वैसा ही रक्खा जावे न कि आपके अमेन्डमेन्ट के मुताबिक ।

इसके अलावा एक अमेन्डमेन्ट ६५ क्लाज में और है। इन पर मेरे ये दो सुझाव हैं। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष जी, श्री शंभूसिंहजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया था उसके विषय में मैं दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं।

इस क्लाज ६५ पर काफी संशोधन प्रस्तुत किये जा चुके हैं। श्री शम्भूसिंहजी ने भी संशोधन पेश किया है। इस पर श्री एच.के.व्यास का भी संशोधन है।

मैं इस तथ्य को मानकर चलता हूं कि चूंकि टैक्सेज का होना आपकी दृष्टि से जरूरी है इसलिए टैक्सेज अवश्य होने चाहियें, नहीं तो आय नहीं हो सकती।

अगर इस चीज की आवश्यकता को मानकर चलते हैं तो फिर हमको किसी विशेष वर्ग के साथ में केवल सहानुभूति दिखाने के लिए ही क्लाज (ए) को अगर डिलीट करवाने की दरख्वास्त की जावे तो मेरे ख्याल से यह उचित नहीं होगा और जनहित में खास तौर से उचित नहीं होगा यह।

चूंकि आप (श्री एच. के. व्यास) किसी एक विशेष वर्ग को सहायता देना चाहते हैं या उस वर्ग विशेष से सहानुभूति रखना चाहते हैं इसलिये आप इन टैक्सेज की आय को उनसे वसूल नहीं करवाना चाहते बल्कि और दूसरे क्लाज या क्लाजेज में (बी) (सी), में रखे गये हैं उनके जरिये से टैक्सेज वसूल करवाना चाहते हैं अर्थात् श्री एच.के.व्यास. के कथन के मुताबिक क्लाज (ए) में रखे गये वर्ग से कोई टैक्स वसूल नहीं करवाना चाहियें क्योंकि वे समझते हैं कि पंचायत के लिए टैक्सेज का होना जरूरी अवश्य है पर (बी) और (सी) के पास जरूरत से ज्यादा पैसा है इसलिए उनसे ही वसूल किया जावे।

पर तथ्य यह नहीं है। आपके पास है इसलिए वसूल किया जावे; यह कोई सुपर टैक्स नहीं है। यह टैक्स है गांव वालों की आवश्यकताओं के लिए और इस चीज को महसूस करते हुए सब पर बराबर टैक्स लगाना मैं आवश्यक समझता हूं ताकि हम सब एक समान भार वहन कर सकें और सब समान रूप से काम करें और पंचायत का काम भी सुचारु रूप से चल सके।

उनके लिए तो यह उचित होता कि वे श्री शम्भूसिंह जी का संशोधन जो है, उसको सपोर्ट करते और यह निवेदन करते कि वाकई में चूंकि उनकी क्लाज (ए) में बताये गये वर्ग के साथ सहानुभूति है इसलिए एक आने के बजाय 'ए' क्लास वालों के लिए दो पैसा ही टैक्स रक्खा जावे तो यह उचित होता। अगर यह सुझाव सदन के सन्मुख श्री एच.के.व्यास ने पेश किया होता तो उचित होता और मेरे विचार के अनुसार मान्य भी होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

Page No.76

[श्री जवानसिंह]

साथ ही उन्होंने जनता की उस ताकत को नहीं नापा कि वह कहां तक टैक्सेज दे सकती है और कहां तकनहीं ।

श्री शम्भूसिंहजी ने बिल्कुल वाजिब समझकर टैक्स का सुझाव रक्खा है और इसी आशय का संशोधन सदन के सामने पेश किया है कि 'ए' क्लास वालों से दो पैसा टैक्स के रूप में वसूल किया जावे ताकि उनकी जेब से आसानी से वह दो पैसा निकल सके और ऐसा नही हो कि टैक्स होने पर एक इतना बड़ा भारी भार हो जावे कि उसके नीचे उनके सिर दब जावें ।

इसलिए मैं श्री शम्भूसिंहजी के संशोधन का अनुमोदन करता हूं ।

श्री हरलालसिंह— माननीय अध्यक्षजी, मेरे मित्र श्री एच. के. व्यास ने जो संशोधन रक्खा है उसका मैं विरोध करता हूं, इसलिये कि किसानों के नाम से अपने काम के लिए आपने टैक्स न लगाने की बात कही, यह मैं उचित नहीं समझता हूं । किसान अपने काम के लिए अपनी पंचायत के लिए, अपने आप पर टैक्स लगाता है, यह बेजा नहीं है, हानिकारक नहीं है । जैसे आप लोगों ने उदाहरण दिया कि एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि किसानों को कर–मुक्त करना है, कर का भार हलका करना है तो मैं समझता हूं कि इस बात को मेरे मित्र ने समझते हुए भी इस पर प्रकाश नहीं डालना चाहते, इसलिए कि इसी नाम से, इसी तरीके से कुछ लोगों को आकर्षित करने का उनका यह तरीका है। इसका मतलब तो यह होता है कि जैसे लगान ज्यादा लिया जाता है बांटा में किसान को बहुत कुछ दे देना पडता है तो यह कर का भार किसान पर है जिसे सरकार ने कम किया है छटे बांटे का कानून बनाकर। वह कर हलका हो गया है किसान का । लगान का कर किसान का कम होना चाहिये वरना किसान के खुद के काम के लिए कर वसूल करते हैं तो किसी किसान का नुकसान नहीं है, फायदा ही है और फिर यह तो कहने का तरीका है ।

जैसे शम्भूसिंहजी ने भी कहा कि चार पैसे के बजाय दो पैसा होना चाहिये तो दो पैसा भी अगर है तो फिर, मैं पूछता हूं कि दो पैसा क्यों ? मैं तो कहता हूं कि चार पैसा है तो वह भी कम है क्योंकि आखिर यह पैसा तो उन्ही के फायदे में, उन्हीं के द्वारा खर्च होने वाला है । अगर थोडा पैसा होगा तो आखिर जो फायदा वे चाहते हैं वह कैसे होगा ? इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और सदन से प्रार्थना करता हूं कि यह संशोधन मन्जूर नहीं किया जावे ।

श्री अध्यक्ष--We will continue the debate on this and we now adjourn till tomarrow. Members might get more prepared on the clauses and we now adjourn till tomarrow at 8.15 A.M.

(सदन की कार्यवाही ११.५८ पर कल प्रातः ८.१५ बजे प्रातः तक के लिए स्थगित हुई ।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक २० अप्रेल, १९५३

मनसाराम पुरोहित,
सचिव
राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति में सदन की मेज पर रखे गये और जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदय की अनुमति है)

७६१. (८८/ई. एम.)

श्री संतोषसिंह कछवाहा, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १३६.—क्या शिक्षा मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) शिक्षा विभाग में ८वीं कक्षा तक की पुस्तकों को चुनने के वास्ते पाठ्यक्रम कमेटी कब बनाई गई ?

(२) इस कमेटी में कहां कहां के कितने व कौन २ मेम्बर हैं ?

(३) इन्होंने कितनी मीटिंग कौन कौन सी तारीख को की और कौन कोनसी पुस्तकें किस किस कक्षा के वास्ते चुनने की सिफारिश की ?

(४) उनके टी. ए. और डी. ए. के कुल कितने रुपये खर्च हुए ?

(५) पुस्तकें चुनने के वास्ते कुल कितनी कमेटियां हैं और इनमें किस किस जगह के व किस किस स्कूलों के कौन कौन मेम्बर हैं ? हरएक कमेटी की अलग अलग कितनी २ मीटिंग हुई, और कौन कौनसी पुस्तकें किस किस कक्षा की अलग अलग हर एक कमेटी ने चुनी ? इनके टी. ए. और डी. ए. में कुल कितना रुपया खर्च हुआ ?

(६) आखिर में किस कमेटी की कौन कौनसी पुस्तकें किस किस कक्षा की फाइनल चुनी गई ? इन पुस्तकों के लेखक व प्रकाशक कौन कौन हैं और वे कितनी कमेटियों में बार बार चुनी गई।

उत्तर

(१) पाठ्य पुस्तक निर्वाचन समिति राजाज्ञा ता: २९.-११-५२ से नियुक्त की गई है इस कमेटी के मेम्बरों के नाम-धाम बताना जनहित के विरुद्ध है। इनकी मीटिंगों का रिकार्ड भी गोपनीय है और उसे जाहिर करना जनहित के विरुद्ध है। इसी कारण इनकी चुनी हुई पुस्तकों का नाम आदि बताना भी संभव नहीं है। इनके टी. ए. और डी. ए. के व्यय का लेखा अभी तैयार नहीं हुआ है, न कोई टी. ए. डी. ए. अब तक इनको तकसीम किया गया है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि टी. ए., डी. ए. में कुल कितने रुपये खर्च हुए।

(२) पुस्तक चुनने वाली कमेटियों और उनके द्वारा किये गये चुनाव के विषय में चाही हुई सूचना अत्यन्त गोपनीय है। इसको प्रकट करना जनहित के विरुद्ध है। टी. ए., डी. ए. के विषय में उत्तर जो पहिले अंश में दिया जा चुका है वही उत्तर इसके लिए भी है।

(३) अभी तक पुस्तकों का फाइनल निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए उनके लेखकों और प्रकाशकों के नाम बताने का प्रश्न ही नहीं उठता।

७६३ (८५/पी. डब्ल्यू. एम.)

श्री **सुगनचन्द जैन**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(अ) चित्तोडगढ में पानी की पाइप लाइन को लगाने में कितना खर्च हुआ है ?

(ब) क्या सरकार को यह मालूम है कि पाइप जो लगाया गया है वो सब बेकार पड़ा है ? अगर बेकार पड़ा है तो क्यों और कबतक चालू होने की संभावना है ?

उत्तर

(अ) ३३२१५ रुपया व्यय हुआ है ।

(ब) पाइप लाइन स्कीम का एक हिस्सा है । आगामी वर्ष में स्कीम के चालू होने की संभावना है ।

७६४. (१०६/सा. एम.)

श्री **मनफूलसिंह**--क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे--

(१) क्या राजस्थान में थोडा वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने का सरकार विचार रखती है ?

(२) अगर ऐसा विचार है तो कबतक काम में लाया जावेगा ?

उत्तर

सरकार फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं रखती है । राज्य की वित्तीय स्थिति जब तक एक सुनिश्चित रूप धारण नहीं कर लेती तब तक इस प्रश्न का विचार करना संभव नहीं होगा ।

७७१. (९६/ई. एम.)

श्री **माधोलाल** एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ८८—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) कोटा जिले के मांगरोल तहसील की जनता क्या पिछले ५ वर्षों से हाई स्कूल की मांग कर रही है ?

(२) यदि हां, तो उनकी मांग पर क्या विचार हुआ ?

उत्तर

(१) हां ।

(२) इस विषय में राजस्थान सरकार की आर्थिक दशा का ध्यान रखते हुए तथा उपयुक्त फन्ड्स प्राप्त होने पर अन्य ऐसे मामलों के साथ विचार किया जायगा ।

७७३ (९९/पी. डब्ल्यू. एम.)

श्री **धर्मचन्द**, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ३६:—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सपोटरा, कुरगांव तथा मंडरायल मासलपुर की पूरी रोड अब तक क्यों नहीं बनी है?

(ख) भविष्य में इसको कबतक पूर्ण करने का विचार है ?

उत्तर

कुरगांव, सपोटरा, मासलपुर और मंड्रायल सड़क अभीतक अर्थाभाव के कारण नहीं बन सकी है। इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

७७७ (१००/पी. डब्ल्यू. एम.)

श्री **धर्मचन्द**, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ३६:—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

सपोटरा से स्टेशन नारायणपुरा टिटवाडे के लिये फेयर वेदर रोड की जो धन-राशि मंजूर हुई थी वह कितनी थी और वह रोड क्यों नहीं बनाई गई ?

उत्तर

सपोटरा से नारायणपुरा टिटवाडे स्टेशन तक फेयर वेदर रोड बनाने के लिए अभी कोई धन-राशि स्वीकृत नहीं हुई। इसलिये इसके बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

७७८. (१०१/पी. डब्ल्यू. एम.)

श्री **धर्मचन्द**, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ३६:—क्या मंत्री, पृथक राजस्व विभाग, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या राजस्थान सरकार शराब बन्दी करना चाहती है ?

(ख) यदि हां, तो कबतक और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

आर्थिक कठिनाइयों के कारण राजस्थान सरकार के लिये शराबबन्दी की कोई कार्यवाही फिलहाल करना संभव नहीं है। इस प्रकार का उत्तर पहले भी ता० १७-१०-५२ को दिया जाचुका है।

७८२. (१०१/पी. डब्ल्यू. एम.)

श्री **रिद्धिचन्द पालीवाल**, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १२९:—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

ताजपुर-गंगापुर रोड का कार्य कब तक शुरू हो जावेगा ? अबतक देरी का क्या कारण है ?

उत्तर

गंगापुर से ताजपुर तक सडक बनाने का कार्य केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति और द्रव्य की प्राप्ति पर शुरू हो जावेगा।

७८३. (१०२/पी. डब्ल्यू. एम.)

श्री **सुगनचन्द जैन**, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १४७:—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में जो कस्टम के नाके बाउन्ड्री के अन्दर हैं और जिनके जिम्मे कोई काम नहीं है फिर भी उसी जगह उन नाकों को रखा जारहा है इसका क्या कारण है ?

(२) अगर उन नाकों को रखना उपयोगी मानते हैं तो क्या काम उन नाकों पर होता है ?

(३) क्या सरकार उन नाकों को हटाने का भी विचार रखती है ?

उत्तर

राजस्थान में कस्टम्स के नाके चार प्रकार के हैं–सरहदी, रेलवे, पोस्ट आफिस व अन्दरूनी। अन्दरूनी नाके खास खास मुकामात पर व्योपारियों की सहूलियत व इन्तजाम के लिये रखे हुए हैं, उनमें कुछ सिविल सप्लाई के लिये भी हैं। कुछ नाके ऐसे भी हैं जिनमें आमदनी कम है लेकिन इन्तजाम की निगाह से उनका रखना जरूरी है।

जो नाके बिला जरूरी हैं उनको कम करने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है।

७८६. (१०३/पी. डब्ल्यू. एम.)

श्री **रिद्धिचन्द पालीवाल**:—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) गंगापुर स्टेशन रोड की हालत पिछले ५ सालों से मरम्मत न होने के कारण अत्यन्त सोचनीय हो गई है, उसका कब तक निर्माण कार्य शुरू हो जायगा।

(ख) क्या इस सड़क को सरकार डामर रोड बनायेगी ?

(ग) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

Page No.81

उत्तर

इस सड़क की मरम्मत के लिये आदेश दिया जा चुका है। आगामी वर्ष में कार्य आरम्भ हो जावेगा, फिलहाल इसको कंकरीट की ही रखा जायगा और फिर जैसे जैसे धन की प्राप्ति होगी डामर कराने का विचार किया जावेगा।

७८७ (१०४/पी. डब्ल्यू. एम.)

श्री **रिद्धिचन्द पालीवाल**, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १२९:—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

हिण्डोन-बयाना रोड का कार्य जो पंच- वर्षीय योजना में है कबतक शुरू हो जावेगा ? इस देरी का क्या कारण है ?

उत्तर

१. पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम के अनुसार इस सड़क पर कार्य सन् १९५४ में आरम्भ होगा। स्वीकृति आने पर ही कार्य हो सकेगा। पंच वर्षीय योजना के मंजूर होने पर यह किया जा सकेगा।

७८९. (१०५/पी. डब्ल्यू. एम.)

श्री **रिद्धिचन्द पालीवाल**, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १२९:—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या प्रत्येक कस्बे से गुजरने वाली सड़क को एक मील तक पक्की डामर रोड बनाने का इरादा है ?

(ख) अगर इरादा है तो अभी से कार्यरूप में परिणित करने में क्या दुविधा है ?

(ग) अगर इरादा नहीं है, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

राजस्थान सरकार की यह हार्दिक इच्छा है कि कस्बों से गुजरने वाली सडकों को कस्बे के समीप पक्की डामर की कर दी जावे और जैसे जैसे धन प्राप्त होगा इस कार्य को किया जायगा।

७९२. (१०७/पी. डब्ल्यू. एम.)

श्री **अवनिकुमार**, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १:—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

१. पी. डब्ल्यू. डी. में कुल कितने ठेकेदारों के कितने कितने रुपये और कितने समय से बकाया (आउटस्टेंडिंगस्) हैं, और जब से स्टेट मर्ज हुई तब से आजतक कितने ठेकेदारों के कितने कितने रुपये और कितने समय से बकाया देने हैं ? उन ठेकेदारों के क्या नाम हैं ?

२. सरकार ने यह बकाया रकमें ठेकेदारों को आजतक क्यों नहीं चुकाई ?

३. अगर किसी प्रकार का झगड़ा था तो काई कमीशन बंठाकर आजतक जल्दी से फैसला क्यों नहीं किया गया ?

४. क्या सरकार ठेकेदारों की चार-पांच वर्ष की बड़ी बड़ी बकाया रकमें जो अभीतक पी. डब्ल्यू. डी. ने चुकाई नहीं हैं उनका हरजाना व ब्याज देने को तैयार है ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

५. अगर हरजाना व ब्याज गवर्नमेन्ट को देना पड़ा तो क्या गवर्नमेन्ट अपने पास से देगी अथवा जिस किसी इंजिनियर से वह गलती हुई हो उससे दिलवायगी ?

६. राजस्थान के सन् ५२-५३ के बजट में ठेकेदारों के पुराने केसेज को चुकाने के वास्ते किन किन डिविजनों में कितने कितने रुपयों की रकम रखी गई, और किन किन ठेकेदारों को कितनी कितनी रकम आजतक चुकाई गई और बाकी कितनी रकम बच रही ?

७. अभी तक पी. डब्ल्यू. डी. पर किन किन डिविजनों से किस किस काम के लिये और किन किन ठेकेदारों ने अदालत में कितने कितने रुपयों का दावा किया है, और दावा करने के वास्ते कितने नोटिस आये हुए हैं, पूरा विवरण देवें ?

उत्तर

The information is being collected and will be placed on the table of the House when compiled.

८०२. (९०/डि. सी. एम.)

श्री **संतोषसिंह कछवाहा**, एम.एल.ए., डिविजन नम्बर १३६ :—क्या उप-मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

१. सन् ५२-५३ में बिलाड़ा तहसील में किस किस जगह कुल कितनी डकेतियां हुई ? और इनमें से कितने नागरिक मारे गये अथवा घायल हुए व कितने रुपयों की सम्पत्ति लूटी गई ?

२. इनमें कितने डाकू पकड़े व मारे गये और कितने रुपयों की सम्पत्ति बरामद हुई ?

३. बिलाड़ा तहसील में अब फिर एसी भयंकर डकेतियां न हों, इसके लिए अब सरकार ने पहले से ही कोई मुस्तकिल (पक्का) इन्तजाम किया है ? अगर किया है, तो क्या और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

१. दो डकेतियां एक गांव जेती और दूसरी गांव सेरिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर में सन् १९५२ में हुई। और सन् १९५३ में अभी तक तो कोई डकेती हुई नहीं। गांव जेती में ६ डाकुओं ने डाका डाला और श्री धर्मराज और श्री मोहनलाल की धर्मपत्नियों को पीटा। आठ डाकुओं ने गांव सेरिया मीठापुर में डाका डाला, कोई भी ग्राम निवासी डाकुओं की गोली से नहीं मारा गया गांव जेती में ५०००) रु० की और गांव सेरिया, मीठापुर में ७५०००) रु० की सम्पत्ति लूटी गई।

२. अभी तक तो कोई भी नहीं पकड़ा गया और न कोई माल बरामद हुआ, यद्यपि पुलिस भरसक प्रयत्न कर रही है।

३. एक पुलिस दल पीपाड़ नगर तथा भोपालगढ़ में गश्त के लिये तथा इसी प्रकार अत्याचारियों को रोकने के लिये लगा दिया गया है।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ७६५ (अ) का उत्तर देखिय)

DACOITIES REPORTED AND PROPERTY STOLEN IN RAJASTHAN DURING THE LAST 4 YEARS.—

RAJASTHAN C.I.D. JAIPUR.

S. No.	District.	1949 Dacoities reported.	1949 Amount of property looted.	1950 Dacoities reported.	1950 Amount of property looted.	1951 Dacoities reported.	1951 Amount of property looted.	1952 Dacoities reported.	1952 Amount of property looted.
1	Jaipur	32	83,351/-	14	55,549/-	19	78,551/-	19	
2	Tonk	12	62,658/-	3	20,450/-	3	13,946/9/-	9	56,011/8/-
3	Jhunjhunu	11	17,224/-	8	11,446/8/-	12	4,264/2/-	10	
4	Sikar	20	66,535/11/-	13	9,115/-	14	89,461/14/-	9	26,954/10/-
5	Alwar	11	15,000/-	5	12,533/-	11	72,929/15/-	9	1,780/6/-
6	Bharatpur	30	84,973/6/-	38	87,564/14/6	19	53,316/8/-	24	
7	S. Madhopur	11	16,943/-	28	10,975/-	11	12,293/-	16	1,44,124/2/-
	1. TOTAL	127	3,46,685/1/-	109	3,06,827/6/6	89	3,24,765/-		
8	Jodhpur	16	31,417/-	16	2,04,422/3/-	4	58,490/-	29	
9	Jaisalmer	13	81,208/-	10	89,747/-	5	22,700/-	7	
10	Jalore	7	5,259/14/-	8	10,753/4/-	7	33,411/-	28	2,17,966/2/-
11	Barmer	23	15,052/-	38	36,273/-	13	19,378/ /-	30	1,90,662/7/-
12	Pali	6	1,36,752/-	9	66,788/-	13	3,85,072/10/-	22	3,64,485/15/-
13	Nagaur	11	74,725/-	14	72,987/-	10	1,27,620/-	15	1,13,481/3/-
14	Sirohi	6	7,054/8/-	3	15,586/7/-	..	..	4	3,119/8/-
	2 TOTAL	82	3,52,438/6/-	98	4,96,556/14/-	52	64,667/1/10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Udaipur	42	29,891/12/-	29	49,099/15/4	40	71,252/6/-	27	..
16	Dungarpur	4	28,728/14/-	5	3,07,110/-	1	468/-	..	..
17	Banswara	7	1,737/1/-	7	9,328/9/-	14	10,128/9/-	6	786/-
18	Chittor	23	90,061/13/6	14	41,912/10/3	24	59,979/3/-	31	15,970/9/3-
19	Bhilwara	16	11,556/11/6	11	13,346/13/9	14	29,383/11/-	16	..
	3 TOTAL	92	1,60,977/4/-	66	1,16,759/8/4	93	1,69,211/13/-	81	1,66,588/1/9
20	Kotah	6	5,039/-	43	33,289/3/-	13	1,53,296/2/-	17	43,607/10/-
21	Bundi	4	191/-	8	5,491/4/6	1	2,280/-	2	9,766/3/-
22	Jhalawar	3	17,762/4/-	5	1,318/6/-	9	25,639/2/-	6	53,552/6/-
	4 TOTAL	13	6,992/4/-	56	40,098/13/6	23	1,81,215/4 -	25	1,06,926/3/-
23	Bikaner	6	25,706/14/6	4	15,939/4/-	4	5,805/-	6	28,818/-
24	Ganganagar	23	30,750/-	12	95,229/4/-	9	1,06,732/12/-	13	86,272/8/-
25	Churu	10	81,781/14/-	4	8,861/-	13	8,13,730/15/-	8	26,821/-
	5 TOTAL	39	1,38,238/12/6	20	1,20,099/8/-	26	9,26,268/11/-	27	1,41,911/8/-

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ७७५ का उत्तर देखिये)

Statement Showing District-Wise Distribution of Inspectors, Sub-Inspectors and Constables

S. No.	Place of Posting	Distribution. Ins-pectors.	S.Ins.	Cons.s.	Harijans. Inspectors.	S-Ins.	Consts.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I. I. G. Bikaner	..	..	..	..	..	..
2	Bikaner	6	46	1098	..	..	..
3	P. T. S. Bikaner	..	..	..	..	..	..
4	Churu	4	26	607	..	..	1
5	Ganganagar	6	35	707	..	..	4
6	D. I. G. Jaipur	..	..	..	..	..	..
7	Jaipur	9	106	2381	..	..	..
8	P. T. S. Jaipur	..	..	..	..	..	..
9	Sawai Madhopur	6	30	631	..	..	..
10	Sikar	5	31	545	..	..	..
11	Jhunjhunu	4	31	540	..	..	..
12	Alwar	7	41	810	..	..	..
13	Bharatpur	5	41	874	..	..	..
14	Tonk	4	28	576	..	..	..
15	D. I. G. Jodhpur	..	..	..	..	..	..
16	Jodhpur	6	62	1406	..	..	60
17	P. T. S. Jodhpur	..	..	..	..	..	..
18	Nagaur	5	36	757	..	..	4
19	Pali	6	31	779	..	..	11
20	Barmer	4	23	604	..	..	..
21	Jalore	3	23	439	..	..	18
22	Jaisalmer	4	15	506	..	..	14
23	Sirohi	3	14	322	..	..	13
24	D. I. G. Udaipur	..	..	..	..	..	..
25	Udaipur	10	99	2319	..	..	68
26	P. T. S. Udaipur	..	..	..	..	..	..
27	Banswara	4	21	450	..	2	17
28	Bhilwara	5	38	858	..	..	6

Page No.87

1	2	3	4	5	6	7	8
29	Chittor	5	43	1018	..	..	..
30	Dungarpur	3	16	332	..	..	2
31	D. I. G. Kotah	..	..	..	..	..	..
32	Kotah	9	78	1546	..	..	36
33	P. T. S. Kotah	..	..	..	..	..	..
34	Bundi	4	23	434	..	..	11
35	Jhalawar	5	30	574	..	..	13
36	P. T. S. Kishengarh	4	4	25	..	..	..
37	C. I. D. and I. B.	22	49	88	..	..	..
38	Hd. Qrs. Office	..	..	..	..	..	..
39	Wireless Office	1	67	94	..	..	..
40	R. A. C. I Bn.	9	27	836	..	..	..
41	-do- II Bn.	9	27	836	..	..	..
42	-do- III Bn.	9	27	836	..	..	..
43	-do- IV	9	27	836	..	..	..
44	-do- V			836	..	..	..
45	Anti Corruption	2	8	20	..	..	..
46	Railway Security	1	5	26	...	..	...
	Grand Total	198	1212	25546	..	2	282

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ७९६ का उत्तर देखिये)

फहरिस्त भीलवाड़ा जिले के कस्टम्स ऑफीसेज की ।

(१) इन्सपेक्टर भीलवाडा सिटी

१ नाका कस्बा भीलवाड़ा
२ नाका स्टेशन भीलवाड़ा
३ नाका स्टेशन हमीरगढ
४ नाका सांगानेर
५ नाका पुर
६ नाका मंगरोप

(२) इन्सपेक्टर शाहपुरा

७ नाका कस्बा शाहपुरा

(३) इन्सपेक्टर आसीन्द

८ नाका आसीन्द
९ नाका लाकूडा
१० नाका निम्बाडा
११ नाका कालियास

(४) इन्सपेक्टर रायपुर-करेडा

१२ नाका रायपुर
१३ नाका देवरिया
१४ नाका करेडा
१५ नाका आण
१६ नाका बेमाली
१७ नाका शिवपुर
१८ नाका गाजूना

(५) इन्सपेक्टर बदनोर

१९ नाका बदनोर
२० नाका पडासोली
२१ नाका आकडसादा

Page No.89

२२ नाका चतरपुरा
२३ नाका पाटन
२४ नाका काकरडा
२५ नाका चैनपुरा
२६ नाका सापोला
२७ नाका रामपुरा
२८ नाका संग्रामगढ
२९ नाका अन्टाली

(६) इन्सपेक्टर कोटडी मुकाम भीलवाडा

३० नाका कोटडी
३१ नाका दांतडा
३२ नाका पारोली
३३ नाका नंदराय
३४ नाका आकोला
३५ नाका बनकाखेडा
३६ नाका बडलियास
३७ नाका आम्बा

(७) इन्सपेक्टर जहाजपुर

३८ नाका जहाजपुर
३९ नाका विहाडा
४० नाका जागोलाई
४१ नाका धुवाला
४२ नाका उंचा
४३ नाका टीकड
४४ नाका कुचलवाडा
४५ नाका रोपा
४६ नाका आमल्दा
४७ नाका पन्डेर
४८ नाका अमरगढ
४९ नाका बेरी
५० नाका टीटोडी
५१ नाका गोपालपुरा
५२ नाका भीमपुरा

Page No.90

५३ नाका जोरा
५४ नाका गन्धेर
५५ नाका खजूरी
५६ नाका गागीथला
५७ नाका मोतीपुरा

(८) इन्सपेक्टर गुलाबपुरा

५८ नाका कस्बा गुलाबपुरा
५९ नाका स्टेशन गुलाबपुरा
६० नाका हुरडा
६१ नाका आगुचा
६२ नाका गोगुथला
६३ नाका लांबा
६४ नाका स्टेशन सरेरी
६५ नाका आनन्दीपुरा
६६ नाका पाटीयों का खेडा
६७ नाका गागेडा
६८ नाका शिवनगर
६९ नाका भीमलत
७० नाका खेजडी
७१ नाका मुरायला
७२ नाका भादवां की कोटडी
७३ नाका स्टेशन रूपाहेली

(९) इन्सपेक्टर मांडलगढ

७४ नाका मांडलगढ
७५ नाका बीगोद
७६ नाका बीजोलिया
७७ नाका काछोला
७८ नाका इन्दरपुरा
७९ नाका गुडा
८० नाका मानपुरा
८१ नाका बरूदनी
८२ नाका धामनिया
८३ नाका गोगटा
८४ नाका बागोद

Page No.91

(१०) इन्सपेक्टर मांडल

८५ नाका स्टेशन मांडल
८६ नाका स्टेशन लाम्बांपी
८७ नाका स्टेशन रायला
८८ नाका बनेडा
८९ नाका बागोर

(११) इन्सपेक्टर गंगापुर

९० नाका गंगापुर

(१२) इन्सपेक्टर अरवड

९१ नाका सांगरिया
९२ नाका अरनिया
९३ नाका कोठिया
९४ नाका इंटडिया

(१३) इन्सपेक्टर फुलिया

९५ नाका फुलिया
९६ नाका घनोप
९७. नाका खेड़ा हेतल
९८. नाका गणातिया खेड़ा
९९. नाका चांदमा
१००. नाका आमलीवडला
१०१. नाका ग्रासेडा
१०२. नाका लसाडिया

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या ८०१ का उत्तर देखिये ।)

Comparative statement showing size of the Allotment to Rajasthan under the Five Year Plan in relation to Bombay, Punjab, and U.P.

State.	Amount allotted under Five Year Plan (Crores).	Area.	Population.	Size per Sq. Mile in Rs.	Size per capitain Rs.
Rajasthan	16.81	1,30,207	1,52,90,797	1,29,102	10.99
Punjab	20.21	37,378	1,26,41,205	5,406,92	15.99
Uttar Pradesh ..	94.3	1,13,409	6,32,15,742	8,308,86	14.9
Bombay	146.44	1,11,434	3,59,56,150	1,314,41	40.7
INDIA (F.Y.P.)	2,068.78	..	..	..	..

Place of Rajasthan in Part 'A' States (9) in the allotment of amount for Five Year Plan under various heads:

(*i*) Agricultural and Community Development (last 10th).

(*ii*) Major Irrigation & Power Projects (8th, next to Orrissa, higher than Punjab which is 9th).

(*iii*) Industry (Last 10th).

(*iv*) Transport (6th, next to Madras, higher than Punjab which is 10th).

(*v*) Social Services (9th, next to Orissa, higher than Punjab which is 10th)

Position of Rajasthan in Part 'B' States (7) in the allotment of amount for Five Year Plan under various heads:

(*i*) Agriculture & Community Development—7th.

(*ii*) Major Irrigation & Power Projects—6th.

(*iii*) Industry—6th.

(*iv*) Transport—3rd.

(*v*) Social Service—2nd.